कर्मचारी भविष्य-निधि योजना

की वार्षिक रिपोर्ट

1963-64

1963-64

सामाजिक सुरक्षा विभाग
केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य-निधि
नई देहली

अनुक्रमणिका

पैरा		पृष्ठ
	खण्ड I	
1—प्रस्तावना		1
2—कार्यक्षेत्र		1
3—निधि का सदस्य बनने की पात्रता		2
4—समावेश		4
5—अंशदान		4
6—निवेश		6
7—ब्याज		6
8—बकाया रकमों की वसूली		7
9—हर्जाने		8
10—मुकदमे		10
	खण्ड II	
11—वापसियां और दावे		10
12—जब्तियां		13
13—विशेष आरक्षित निधि		14
14—मृत्यु सहायता निधि की स्थापना		16
15—पेशगियां और ऋण		17
16—छूट प्राप्त प्रतिष्ठान		18
	खण्ड III	
17—केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड		19
18—प्रादेशिक समितियां		20
19—प्रबंध		20
20—प्रकाशन		21
21—कार्यालय के लिए जगह		22
22—कर्मचारी आवास		22
23—शक्ति सौंपना		22
24—प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों का सम्मेलन		23
25—निरीक्षण		23
26—आय और व्यय		24
27—लेखा परीक्षा		25
	खण्ड IV	
28—संशोधन		25
29—सामयिक स्पष्टीकरण		26
30—ठेकेदारों के कर्मचारी		28
31—निष्कर्ष		28

अनुबन्ध

पैरा		पृष्ठ
(क)	समाविष्ट प्रतिष्ठान	29
(ख)	प्रदेशवार विवरण	34
(ग)	निधि की परिसंपत्ति का वर्गीकृत सार	35
(घ)	वसूली के मामलों और उनकी रकम का प्रदेशवार विवरण	36
(ङ)	दायर किए गए, निपटाए गए और निलम्बित मुकदमों का प्रदेशवार विवरण	37
(च)	केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड के सदस्यों की सूची	38
(छ)	केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड-की 21वीं, 22वीं और 23वीं बैठकों के महत्वपूर्ण निर्णय	40

कर्मचारी भविष्य-निधि योजना

(वार्षिक रिपोर्ट—1963-64)

खण्ड I

प्रस्तावना

न तो बहुत से मजदूर अपनी आय में से बचत करते हैं और न ही अधिकांश नियोक्ता स्वेच्छा से किसी मजदूर की बचत करने और उसमें वृद्धि करने में सहायता और प्रोत्साहन देते हैं। इसका परिणाम अधिकांश मजदूरों के लिए यह होता है कि उनका बुढ़ापा गरीबी और अभाव में व्यतीत होता है। कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम और उसके अधीन बनी योजना के द्वारा जो 1952 के अंत में लागू की गई थी निरन्तर इन परिस्थितियों की रोकथाम का प्रयत्न किया जा रहा है और हर वर्ष उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। 11 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान में अधिनियम और अनिवार्य अंशदायी भविष्य-निधि की योजना का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो गया है; साथ ही कार्यान्विति और प्रवर्तन की समस्याओं की संख्या और जटिलता भी बढ़ गई है।

2. **कार्यक्षेत्र**

यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर राज्य के अलावा सारे भारत पर लागू होता है। (राज्य सरकार ने 1 जून, 1961 से कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अनुसार मजदूरों के लिए एक अलग भविष्य-निधि योजना बना दी है।)

पांडिचेरी कानून तथा विनियम, 1963 के उपबन्धों की बदौलत यह अधिनियम 1 अक्तूबर 1963 से पांडिचेरी राज्यक्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है और योजना के उपबन्ध 31 अक्तूबर, 1963 से इन प्रतिष्ठानों पर भी लागू कर दिए गए हैं। इस राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 40 फैक्टरियां/प्रतिष्ठान और लगभग 10,000 अभिदाता ले लिए गए हैं।

अधिनियम आरम्भ में केवल 6 उद्योगों पर लागू होता था लेकिन वर्ष के अन्त तक उसका विस्तार 84 उद्योगों और प्रतिष्ठानों-श्रेणियों तक हो गया। इन उद्योगों और प्रतिष्ठानों-श्रेणियों की सूची इस रिपोर्ट के अंत में अनुबन्ध 'क' में दी गई है।

आलोच्य वर्ष के दौरान तेरह उद्योगों और प्रतिष्ठान-श्रेणियां अधिनियम के अंतर्गत आ गईं, उदाहरणार्थ :—

(1) कपड़े की धुलाई तथा कपड़े की धुलाई की सेवाएं;
(2) बटन;
(3) ब्रुश;
(4) प्लास्टिक और प्लास्टिक की बनी वस्तुएं;
(5) लेखनसामग्री;
(6) नाट्यशालाएं जहां नाटक खेले जाते हैं या मनोरंजन के अन्य साधन जुटाए जाते हैं और जहां दर्शकों को प्रवेश के लिए पैसे देने पड़ते हैं;
(7) कंपनियां, सभाएं या संस्थाएं, क्लब और नाट्य मंडलियां जो अपनी कलाओं का प्रदर्शन या करतब या दोनों किसी गोल या अन्य अखाड़े में दिखाती हैं य नाट्य-

शाला के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य रूप में स्वयं मनोरंजन करती या दूसरों से करवाती हैं और उस प्रदर्शन या मनोरंजन के लिए दर्शकों से पैसे लेती हैं;

(8) सभाएं, क्लब या संस्थाएं जो अपने किसी सदस्य या अपने किसी अतिथि के लिए रहने या खाने-पीने या दोनों की, अथवा मनोरंजन या अन्य किसी सेवा की पैसे लेकर व्यवस्था करती है ।

(9) कैंटीन;

(10) स्पिरिट-आसवन तथा परिशोधन (जो औद्योगिक और पावर एल्कोहल के अंतर्गत नहीं आता) और स्पिरिटों का सम्मिश्रण;

(11) वातित जल, मृदु पेय या कार्बोनेटी जल;

(12) रंग और वार्निश; और

(13) अस्थि चूर्णन ।

(आलोच्य वर्ष के उपरान्त विनिमय के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुएं भी आ गई हैं :—

(i) खनिज; और

(ii) चीनी मिट्टी की खानें ।)

केन्द्रीय सरकार ने अभिवेदनों की प्राप्ति पर उन प्रतिष्ठान-श्रेणियों को 31-12-1961 से 31-12-1966 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए अधिनियम के उपबन्धों से छूट दे दी थी जो लाख या चमड़ा उद्योगों की फैक्टरियां हैं और जो 30-9-1956 से अधिनियम के अंतर्गत आ गई थीं तथा जिसके कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1961 को भविष्य-निधि, उपदान या बुढ़ापा पैंशन के रूप में किसी लाभ के अधिकारी नहीं थे । ऐसे मामलों में अंशदान में नियोक्ता का भाग, प्रशासनिक प्रभार, हर्जाने आदि ब्याजसहित संबन्धित नियोक्ता को वापस कर दिए जाएंगे और सदस्यों के अंशदान ब्याजसहित सदस्यों को लौटा दिए जाएंगे ।

नये उद्योगों को अधिनियम के अंतर्गत लाने के प्रस्तावों पर निरन्तर विचार किया गया । भविष्य-निधि संगठन द्वारा छब्बीस अन्य उद्योग और प्रतिष्ठान-श्रेणियों का, जिनकी अनुमानित सदस्यता लगभग 2.63 लाख है, सर्वेक्षण किया जा चुका था या किया जा रहा है । (नये उद्योगों के सर्वेक्षण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए हाल ही में विशेष हिदायतें जारी की गई हैं । क्षेत्र कर्मचारी सभी संभव सूत्रों से जानकारी एकत्र करते है जैसे, मुख्य निरीक्षक, फैक्टरी, मख्य निरीक्षक, दूकान और प्रतिष्ठान, श्रम आयुक्तों, स्थानीय निकायों, उद्योग निदेशालय से और श्रमिकों तथा नियोक्ताओं और अन्य लोगों के संगठनों के दौरे करके तथा उनसे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके भी जानकारी एकत्र करते हैं । ऐसे उद्योग और प्रतिष्ठान-श्रेणियों को जो सरकार की दृष्टि में भविष्य-निधि का भार वहन करने के योग्य हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में अधिनियम के अंतर्गत ले आने की आशा है ।)

3. निधि का सदस्य बनने की पात्रता :

कोई भी मज़दूर (जिसमें ठेकेदार का मजदूर भी शामिल है) कर्मचारी भविष्य-निधि की सदस्यता का तभी पात्र हो सकता है जब वह नीचे लिखी शर्तें पूरी कर दे :—

(i) उसका प्रतिष्ठान किसी ऐसे उद्योग या प्रतिष्ठान-श्रेणी में कार्यरत हो जिस पर कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम लागू किया गया हो;

(ii) प्रतिष्ठान में 20 या अधिक कर्मचारी होने चाहिएं और यदि उसमें 50 से कम कर्मचारी हैं तो उसे स्थापित हुए 5 वर्ष पूरे हो चुके हों और यदि उसमें 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो उसकी स्थापना को 3 वर्ष हो चुके हों;

(iii) मज़दूर को प्रतिष्ठान में काम करते हुए एक वर्ष पूरा हो चुका हो या उसने 12 महीने या इससे कम की अवधि में 240 दिन का वास्तविक काम कर लिया हो;

(iv) मज़दूर का 'वेतन' (यानी मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता जिसमें किसी खाद्य पदार्थ पर दी गई सुविधा और प्रतिधारण भत्ते, यदि कोई हों, का नकद मूल्य भी शामिल है) 1,000 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होना चाहिए ।

मद्रास उच्च न्यायालय ने मेसर्स ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रीज़, मद्रास (प्रा०) लिमिटेड की प्रादेश याचिका पर यह फैसला दिया है कि किसी फैक्टरी को अधिनियम के दायरे के अंतर्गत लाने के प्रयोजन के लिए यदि वह 20/50 व्यक्तियों को एक दिन के लिए भी काम पर रख ले तो काफी है ।

पहले अधिनियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता था जिनमें केवल 50 या इससे अधिक कर्मचारी ही काम करते हों । 31 दिसम्बर, 1960 के बाद से यह उन प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी हों । मूलत: अधिनियम सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता था । मई 1958 के बाद से यह भेद समाप्त कर दिया गया है ।

लेकिन फिर भी अधिनियम नीचे लिखे प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा :—

(i) वे प्रतिष्ठान जो सहकारी समिति अधिनियम 1912 (या सहकारी समितियों से संबद्ध किसी अन्य कानून) के अन्तर्गत रजिस्टरित हों बशर्ते कि उस प्रतिष्ठान में 50 से कम व्यक्ति काम करते हों और वह विद्युतशक्ति के बिना चलता हो;

(ii) हाथ करघा फैक्टरियों जिनका संगठन औद्योगिक सहकारी समितियों को वर्ग के रूप में मान कर किया गया हो (1964 के अंत तक);

(iii) ऐसी प्रतिष्ठान-श्रेणियां जिनका स्वामित्व/नियन्त्रण धर्मार्थ संस्थाओं के हाथ में है और जो पूर्णतया अपने कर्मचारियों के हित के लिए कार्य कर रही हों (अगस्त 1965 तक);

(iv) असम राज्य में चाय बागान और चाय फैक्टरियों जहां राज्य सरकार ने इन प्रतिष्ठानों के लिए एक पृथक् योजना बनाई है ।

अधिनियम के अंतर्गत आए हुए प्रतिष्ठान के विभिन्न विभागों और शाखाओं को प्रतिष्ठान का अंग ही माना जाता है और प्रतिष्ठान को अधिनियम के अंतर्गत लाने के उद्देश्यों के लिए शाखाओं के कर्मचारियों की संख्या का भी पूरा लिहाज़ रखा जाता है ।

आलोच्य वर्ष के अंत में अभिदाताओं की संख्या लगभग 39.07 लाख थी (जबकि 1962-63 में लगभग 35 लाख ही थी) ।

4. समावेश

फैक्टरियों और अन्य प्रतिष्ठानों के 31-3-1961 से अधिनियम के अंतर्गत हुए समावेश की प्रगति निम्नलिखित है :—

समाप्त होने वाला वर्ष	समाविष्ट प्रतिष्ठानों की संख्या	अभिदाताओं की संख्या (लाखों में)
31-3-1961	12,133	29.29
31-3-1962	17,416	31.53
31-3-1963	22,413	35.17
31-3-1964	25,663	39.07

जो प्रतिष्ठान स्वेच्छा से अधिनियम में शामिल हो गए हैं उनकी संख्या पिछले वर्ष (1962-63) की 301 से बढ़कर 1963-64 में 499 हो गई है।

वर्ष के अन्त में समावेश की स्थिति का प्रदेशवार ब्यौरा अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

5. अंशदान

निधि के सदस्यों और नियोक्ताओं में से प्रत्येक को हर महीने अपने मूल वेतन, प्रतिधारण भत्ते, यदि हो, और महंगाई भत्ते का जिसमें खाद्य पदार्थ के लिए दी गई सुविधा का नकद मूल्य भी शामिल है, 6 ¼% भाग अंशदान के रूप में देना पड़ता है।

चार उद्योगों/प्रतिष्ठान श्रेणियों जैसे सिगरेट, विद्युत् यांत्रिकी या सामान्य इंजीनियरी उत्पाद, लोहा और इस्पात, हाथ से बने कागज से भिन्न कागज के अंतर्गत आने वाली फैक्टरियों के सम्बन्ध में जिनमें 50 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं, अंशदान की सांविधिक दर 1962-63 के दौरान बढ़ा कर 8 प्रतिशत कर दी गई थी। बढ़ी हुई दर 1963-64 के दौरान निम्नलिखित उद्योगों/प्रतिष्ठान-श्रेणियों पर प्रत्येक के सामने लिखी तारीख से लागू कर दी गई थी।

(1) सिमेंट	1 अप्रैल, 1963 से
(2) कपड़े (पूर्णतया या आंशिक रूप से कृत्रिम रेशम या ऊन से बनाए गए);	1 नवंबर, 1963 से (2 से 19 तक)
(3) दियासलाइयां;	
(4) वनस्पति से इतर खाद्य तेल और वसाएं;	
(5) रबड़ तथा रबड़ से बनी वस्तुएं;	
(6) बिजली जिसमें उसका जनन, संचरण और वितरण शामिल है;	
(7) मुद्रण (उस मुद्रण उद्योग को छोड़ जिसका संबन्ध श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, (1955) में निर्दिष्ट समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से है) इसमें मुद्रण के लिए टाइप कंपोज करने की प्रक्रिया, लेटर मुद्रण; शिलामुद्रण, फोटोग्रेवर, या अन्य वैसी ही प्रक्रिया या जिल्दबंदी शामिल हैं;	

(9) शीशा;	
(10) पाषाण पाइप;	
(11) स्वास्थ्य संबंधी सामान;	
(12) उच्च और निम्न तनाव वाले बिजली के पोर्सिलिन इंसुलेटर;	
(13) उष्मसह पदार्थ;	
(14) टाइल;	
(15) भारी तथा परिष्कृत रसायन जिनमें उर्वरक शामिल नहीं हैं किंतु निम्नलिखित शामिल हैं :—	
(i) तारपीन,	
(ii) रोज़िन,	
(iii) औषधीय और भेषजीय वस्तुएं,	
(iv) शृंगार का सामान,	
(v) साबुन,	
(vi) स्याही,	
(vii) इंटरमीडिएट, रंग, कलर लेक और टोनर,	
(viii) वसीय अम्ल, और	
(ix) आक्सीजन, एसीटिलीन और कार्बन डाइआक्साइड गैस;	
(16) नील;	
(17) अखाद्य वनस्पति और जान्तव तेल और वसाएं;	
(18) खनिज तेल परिष्करण;	
(19) समाचारपत्र प्रतिष्ठान;	
(20) कपड़े (पूर्णतया या आंशिक रूप से सूत के बने हुए)	(1 दिसम्बर, 1963 से)

यदि सदस्य और नियोक्ता चाहें तो अपने अंशदान की प्रतिशत बढ़ा भी सकते हैं बशर्ते कि नियोक्ता सदस्यों और नियोक्ताओं के बढ़े हुए अंशदानों पर प्रशासनिक प्रभार देने के लिए भी सहमत हों। इस प्रकार वर्ष के दौरान लगभग 36,448 सदस्य स्वेच्छा से अधिक दर पर अंशदान दे रहे थे।

छूट रहित प्रतिष्ठानों से आलोच्य वर्ष के दौरान जो अंशदान नकद प्राप्त हुआ था (जिसमें पिछली रकमें भी शामिल हैं) उसकी कुल रकम 35.55 करोड़ रुपये थी (जबकि पिछले वर्ष 28.6 करोड़ रुपये ही थी)। इसके अतिरिक्त 4.32 करोड़ की पिछली रकमें जो ऋण-पत्रों के रूप में जमा की गई थी (जबकि उससे पिछले वर्ष 4.13 करोड़ रुपये ही आए थे) उन प्रतिष्ठानों से प्राप्त हुई थीं जिनकी पहले अपनी भविष्य-निधि योजनाएं थी लेकिन अब वे अधिनियम के अंतर्गत आ गए थे।

6. निवेश

छूटरहित प्रतिष्ठानों से प्राप्त अंशदान नियोक्तागण स्टेट बैंक आफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं में जमा करा देते हैं और फिर वे अपने आप स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई के केन्द्रीय लेखे में अंतरित हो जाते हैं। इन निधियों का नियमित (साप्ताहिक) अवधियों में निवेश किया जाता है। ये रकमें रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के ज़रिए केन्द्रीय सरकार के ऋणपत्रों में लगा दी जाती हैं और उनकी अभिरक्षा का भार भी रिजर्व बैंक पर ही रहता है। इन सब कार्यों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में पैसों के पहुचने और उनके निवेश में बहुत कम अंतर रह जाता है।

अब भी निवेश निम्नलिखित ढंग से किया जाता है :—

(i) 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणपत्र और रक्षा जमा प्रमाणपत्र 20%

(ii) अन्य भारत सरकार ऋणपत्र (जिनमें राष्ट्रीय रक्षा बांड शामिल हैं) 80%

इस प्रकार भावी निवेश में 4.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक आय होने की आशा है।

इस वर्ष के दौरान छूटरहित प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध 31.36 करोड़ रुपए की रकम केन्द्रीय सरकार के ऋणपत्रों में लगाई गई थी (जबकि पिछले वर्ष 26.04 करोड़ रुपयों का निवेश हुआ था)। 1963-64 के दौरान किए गए निवेश पर वसूल हुए ब्याज की रकम 5.19 करोड़ थी। इन निवेशों से हुई वार्षिक आय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	लाख रुपयों में
1952-54	13.39
1954-55	30.75
1955-56	47.42
1956-57	70.77
1957-58	109.09
1958-59	158.03
1959-60	209.22
1960-61	272.53
1961-62	350.00
1962-63	433.00
1963-64	519.00

31 मार्च, 1964 को समाप्त होने वाली अवधि तक निधि की परिसंपत्ति का वर्गीकृत सार अनुबन्ध 'ग' में दिया गया है।

7. ब्याज

1952-53 से ब्याज 3.75 प्रतिशत की दर से अभिदाताओं के लेखों में जमा कराया जाता रहा है (इनमें स्टाफ भविष्य-निधि के सदस्य भी शामिल हैं)। यह दर 1963-64 में बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई थी। न्यासधारी बोर्ड की सिफारिशों पर भारत सरकार इस दर को

1964-65 वित्त वर्ष के दौरान बढ़ाकर 4.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर देने पर भी सहमत हो गई है। यह संभव है कि ब्याज की यह दर अगले वर्ष और भी अधिक कर दी जाए।

8. बकाया रकमों की वसूली

योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक नियोक्ता को चाहिए कि वह भविष्य-निधि सम्बन्धी अंशदान और प्रशासनिक प्रभार प्रत्येक मास की समाप्ति के पंद्रह दिन के अंदर अदा करदे। नियोक्ता को एक विवरण भी भेजना पड़ता है जिसमें मजदूरों से हुई वसूलियां और उसके अपने अंशदान की रकमें दर्ज होती हैं। यह देखा गया है कि बहुत से नियोक्ता उक्त तारीख का पालन नहीं करते। कुछ तो अपने मासिक विवरण भेज देते हैं लेकिन अंशदान की रकम जमा नहीं करते। और कुछ ऐसे हैं जो न तो विवरण भेजते हैं और न ही पैसे जमा करते हैं। इन बकाया रकमों को भू-राजस्व की तरह वसूल किया जाता है। जो नियोक्ता विवरण नहीं भेजते या भविष्य निधि की बकाया रकमें अदा नहीं करते उन पर मुकदमा चलाया जाता है। राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे बाकीदार नियोक्ताओं से कुल बकाया रकम का 25 प्रतिशत तक हर्जाना वसूल कर सकती हैं।

अन्य समस्याओं में बाकीदार नियोक्ताओं से बाकी तथा अतिदेय रकमों की वसूली की समस्या सबसे कठिन है। ये बकाया रकमें ज्यों-ज्यों संगठन का कार्य-विस्तृत होता गया बढ़ती गई। यद्यपि समय-समय पर इन बकाया रकमों की बढ़ती रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं किन्तु अधिनियम के अंतर्गत आए हुए प्रतिष्ठानों की संख्या में हुई अपार वृद्धि के कारण कार्य की प्रगति रुक गई थी। बकाया रकमों में पिछली वे रकमें जिन्हें प्रतिष्ठानों की छूट को मंसूखी के बाद अंतरित कर देना चाहिए था और वे जो प्रतिष्ठान के आरम्भिक समावेश के पहले एकत्र हो गई थीं, शामिल है। सामान्यतया जब बाकी रकमें सम्बद्ध मास से अगले मास के अंत तक प्राप्त नहीं होती तो नियोक्ता को कानूनी नोटिस दिया जाता है कि वह नियत तारीख तक रकम की अदायगी कर दे। अदायगी न होने की स्थिति में नियोक्ता पर मुकदमा दायर करने और वसूली करने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन सामान्य व्यवस्थाओं का वांछित परिणाम नहीं निकला। इन बकाया रकमों की घटाने की समस्या पर केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने कई बार विचार किया है। प्रादेशिक भविष्य-निधि आयुक्तों ने भी अगस्त, 1963 में हुए अपने सम्मेलन में इस समस्या के हर पहलू पर विचार करने के बाद सिफारिश की थी कि अधिनियम में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी जाए कि :—

(i) बार-बार दोहराए जाने वाले अपराधों के लिए अनिवार्य कारावास की कम से कम अवधि निश्चित कर दी जाए;

(ii) अन्य सभी ऋणों की अपेक्षा अंशदान की बकाया रकमों की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए या उसे रक्षित ऋणों में शामिल कर दिया जाए;

(iii) अंशदान आदि की अदायगी न होने की स्थिति में कम से कम जुर्माना निश्चित कर दिया जाए; और

(iv) दोषसिद्धि के बाद भी बाकी रकमों के निरन्तर अदा न करने पर कम से कम जुर्माना तथा उसके बाद होने वाली बाकीदारियों के लिए अनिवार्य कारावास की कम से कम अवधि निश्चित की जाए। यह भी अनुभव किया गया था कि जहां कहीं भी अंशदान की रकमों की वसूली में अनुचित विलम्ब हो जाए और यदि आवश्यक

हो तो अस्थायी उपाय के रूप में कुछ प्रमाणपत्र अधिकारियों की सेवाएं ले ली जाएं चाहे उनका खर्च निधि से ही देना पड़े। जब भारत सरकार इन सब सुझावों पर विचार कर रही थी तभी यह बात मान ली गई थी कि निरन्तर व्यक्तिगत संपर्क और वार्ता के द्वारा तथा मुकदमे और वसूली की कार्रवाइयों के दबाव से कुछ ठोस परिणाम निकल सकते हैं, इसलिए क्षेत्र कर्मचारियों ने कार्य आरम्भ कर दिया। (केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने अप्रैल, 1964 में हुई अपनी बैठक में यह अनुभव किया कि जिन मजदूरों का इस समस्या से मुख्य सम्बन्ध है उन्हें भी इन प्रयत्नों में साथ ले लेना चाहिए और अंततः यह निश्चय किया कि स्थानीय मजदूर संगठन और स्थानीय नियोक्ता संगठनों को ऐसे मामलों की सूचना दे देनी चाहिए जिनमें अंशदान की अदायगी नहीं हुई है ताकि वे भी सम्बन्धित नियोक्ताओं पर दबाव डालें कि वे बकाया रकमें अदा करें। जहां कहीं ट्रेड यूनियनें नहीं हैं वहां यह निर्णय किया गया कि श्रमिक सदस्यों को अलग-अलग अवगत करा दिया जाए। अब यही किया जा रहा है। परिणाम तो 1964-65 में ही निकलेगा)।

आलोच्य वर्ष के दौरान 4,690 लोगों पर 2.01 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए मुकदमे चलाए गए और 2.74 करोड़ रुपये वसूल हुये (जबकि पिछले वर्ष 1.51 करोड़ रुपये ही वसूल हुए थे)। जिन मामलों में वर्ष के अंत तक वसूलियां नहीं हो सकी थीं उनका प्रदेशवार ब्योरा तथा संबद्ध रकमें अनुबन्ध 'घ' में दर्ज हैं।

इस वर्ष के अंत में संगठन को 4.02 करोड़ रुपये की बकाया रकमें वसूल करनी थीं। लेकिन इन बकाया रकमों में छूट-रहित प्रतिष्ठानों से संबद्ध अंशदानों की कुल रकम का केवल 1.78 प्रतिशत भाग ही था।

9. **हर्जानें**

चूंकि अदायगी न करने वाले नियोक्ताओं से हर्जाने उगाहने की कार्यविधि में कोई एकरूपता नहीं थी इसलिए केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने 24 नवम्बर, 1962 को हुई अपनी बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया और सिफारिश की कि जहां तक संभव हो राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन हर्जानों की वसूली निम्नलिखित मानों पर कर सकते हैं :—

	एक मास या कम	एक मास से दो मास तक	दो मास से तीन मास तक	तीन मास से चार मास तक	चार मास से पांच मास तक	पांच मास से अधिक
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
पहली बाकीदारी . .	2	5	10	15	20	25
दूसरी बाकीदारी . .	5	10	15	20	25	
तीसरी बाकीदारी . .	10	15	20	25		
चौथी बाकीदारी . .	15	20	25			
पांचवीं बाकीदारी . .	20	25				
छठी बाकीदारी . .	25					

(प्रतिशत प्रत्येक अवस्था में कुल रकम पर है)।

उपर्युक्त मानों के लागू हो जाने के बाद कुछ अभिवेदन हुए जिनमें यह सुझाव दिया गया था कि हर्जानों की दर बहुत अधिक है और नियोक्ता को कुछ रियायत दी जानी चाहिए। अतः इस मामले पर केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड की 13 जनवरी, 1964 को हुई 23 वीं बैठक में विचार किया गया और बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय किये :—

(i) नियोक्ताओं को भविष्य-निधि के अंशदान की अदायगी के लिए 5 दिन की रिआयत दी जाए जिनके दौरान उनसे कोई हर्जाने न उगाहे जायें :—

(ii) 15 दिन तक के विलंब के लिए जिनमें 5 रिआयती दिन भी शामिल हैं सारणी में निर्धारित दर से आधी दर पर हर्जाने उगाहे जायें।

भारत सरकार ने इन निर्णयों का अनुमोदन कर दिया और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे हर्जानों की उगाही के लिए यही कार्यविधि अपनाएं।

जो नियोक्ता बकाया रकमों में से सिर्फ कुछ अंश ही अदा करते हैं हर्जाने की उगाही के लिए उन्हें भी बाकीदार ही माना जाएगा। सद्भ्रांति के मामलों में कठिनाई कम करने के लिए उन बकाया रकमों पर हर्जाने नहीं लगाए गए थे वहां अंशदानों के जोड़ में गलती हो जाने से लोगों के नाम रकमें बाकी डाल दी गई थीं। उस स्थिति में भी हर्जाने वसूल नहीं किये गए थे जहां नियोक्ता ने आकस्मिक गलती या लेखन त्रुटि के कारण अपने किसी कर्मचारी की मजदूरी में से कटौती नहीं की थी। उसे अनुमति दे दी गई थी कि वह निरीक्षक की लिखित सहमति लेकर बाद की मजदूरी में से वह कटौती कर ले।

हर्जानों की उगाही के लिए उन प्रतिष्ठानों के मामलों पर विशेष रूप से विचार किया गया जिन्हें किस्तों में बकाया रकमें अदा करने की अनुमति दी गई थी और उसके निम्नलिखित परिणाम निकले। इन मामलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है :—

(1) हर्जानों की उगाही के लिए एकरूप कार्यविधि अपनाए जाने पर राज्य सरकार ने जो संशोधित आदेश जारी किये थे उनके पहले की अवधि में होने वाली बाकीदारी;

(2) उपर्युक्त आदेशों के जारी होने के बाद होने वाली बाकीदारियां जो अंतिम अदायगी की तारीख तक 5 मास तक नहीं बनी रही थी या जो 5 से कम बार हुई हैं; और

(3) वे बाकीदारियां जो संशोधित आदेशों के जारी होने के बाद 5 मास से अधिक पहले की हैं या जो 5 बार हो चुकी हैं या इससे भी अधिक बार हो चुकी हैं।

पहली श्रेणी के सम्बन्ध में हर्जानों की दरें 6¼ प्रतिशत होनी चाहिए अर्थात् पुरानी दरों के अनुसार चाहे राज्य सरकार के हर्जानों की संशोधित दरों से सम्बद्ध आदेश जारी किये जाने के बाद बकाया रकमें अदा की गई हों या नहीं।

दूसरी श्रेणी में उल्लिखित बाकीदारियों के सम्बन्ध में हर्जानों की दरें पहले दी गई सारणी के अनुसार होनी चाहिएं।

तीसरी श्रेणी के सम्बन्ध में हर्जानों की दरें बकाया रकमों की 25 प्रतिशत होनी चाहिएं।

10. मुकदमें

आलोच्य वर्ष के अंत तक दायर हुए, निपटाए गए और निलम्बित मुकदमों आदि के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :—

दायर हुए	निपटाए गए	न्यायालयों में निलंबित	मंजूरी के लिए राज्य सरकारों के पास निलंबित
9,178	4,340 को सजा हुई, 284 बरी हुए, 1,871 वापिस ले लिए गए; 219 बर्खास्त/मुक्त हुए	2,464	2,802
9,178	6,714	2,464	2,802

नियोक्ता के पहले अपराध के मामलों में बकाया रकम तथा प्रासंगिक खर्च लेकर वापस लिए गए या उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों को देखते हुये अधिनियम की अप्रभोज्यता के कारण वापस लिए गए।

मुकदमों का प्रदेशवार ब्योरा अनुबंध 'ङ' में दिया गया है।

खण्ड II

11. वापसियां और दावे

यदि कोई सदस्य चाहे तो योजना के अन्तर्गत निधि में जमा अपनी पूरी रकम नीचे दिए ढंग से निकाल सकता है :—

(क) निम्नलिखित घटनाओं में से किसी के घटने के बाद :—

(i) 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्ति;

(ii) शारीरिक या मानसिक दौर्बल्य के कारण काम करने में स्थायी और पूर्ण-अशक्तता के कारण सेवा निवृत्ति जिसका प्रतिष्ठान के चिकित्सा अधिकारी ने विधिवत् प्रमाणीकरण किया हो;

(iii) विदेश में स्थायी रूप से रहने के लिए भारत से प्रव्रजन ;

(iv) सामूहिक छंटनी यानी 3 या अधिक व्यक्तियों की छंटनी के कारण सेवा-समाप्ति;

(v) यदि नियोक्ता अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (5) के परन्तुक के अधीन उसके उपबन्धों को प्रतिष्ठान में लागू करना बंद कर दें।

(ख) सदस्य की मृत्यु हो पर उसके अंशदान की कुल रकम उसके नामितों/वारिसों को वापस कर दीजाती है। यदि किसी सदस्य की सेवा व्यक्तिक छंटनी के कारण

समाप्त हो जाए और वह वापसी के लिए आवेदन पत्र देने की तारीख से 6 मास की निरन्तर अवधि में किसी ऐसे प्रतिष्ठान में न रखा जाए जो अधिनियम के अंतर्गत आ गया है।

(ग) निम्नलिखित किसी भी आकस्मिक घटना के घटने पर : बशर्ते कि वास्तविक अदायगी किसी सदस्य ने निकासी के लिए किए गए आवेदन के ठीक पहले 6 मास से कम की लगातार अवधि समाप्त हो जाने के बाद की जाए :—

(i) जहां फैक्टरी या अन्य प्रतिष्ठान बंद हो जाए लेकिन नियोक्ता कुछ कर्मचारियों की, जिनकी छंटनी नहीं हुई है, किसी अन्य प्रतिष्ठान में बदली करदे जो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते ;

(ii) जहां सदस्य अधिनियम में समाविष्ट फैक्टरी या अन्य प्रतिष्ठान से किसी और प्रतिष्ठान को भेज दिया जाए जो अधिनियम के अंतर्गत तो नहीं आता लेकिन उसी नियोक्ता के अधीन है;

(iii) जहां सदस्य मुक्त कर दिया गया हो और उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत छंटनी मुआवजा दिया गया हो।

यदि किसी सदस्य ने निधि की सदस्यता के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो वह निधि में जमा अपनी पूरी रकम निकाल सकता है, लेकिन वास्तविक अदायगी उसे तभी की जाएगी जब वह लिखकर यह घोषणा कर दे कि निकासी के लिए आवेदनपत्र देने की तारीख से ठीक 6 मास पहले की लगातार अवधि तक वह किसी ऐसे प्रतिष्ठान में काम पर नहीं रहा जिस पर अधिनियम लागू होता है।

सदस्य निधि में जमा भविष्य-निधि का अपना अंश नियोक्ता के हिस्से की एक अनुपातिक रकम के साथ जो उसकी निधि की सदस्यता पर निर्भर है, निकाल सकता है बशर्ते कि —

(i) वह भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश का राष्ट्रिक हो और कम से कम एक वर्ष के लिए भारत छोड़ रहा हो, या

(ii) वह निकासी के लिए आवेदन पत्र देने की तारीख के ठीक पहले 6 मास से कम की निरन्तर अवधि तक किसी फैक्टरी या अन्य प्रतिष्ठान में, जिस पर अधिनियम लागू होता है काम न करता रहा हो।

सदस्य को अपने अंशदान तथा उसके ब्याज के अतिरिक्त नियोक्ता के अंशदान के भाग का एक अनुपात ब्याज सहित नीचे लिखे मानों के अनुसार दिया जाता है :—

निधि की सदस्यता की अवधि		लौटाया जाने वाला नियोक्ता का अंशदान तथा उसका ब्याज
(i)	3 वर्ष से कम	25 %
(ii)	3 वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	50 %
(iii)	5 वर्ष या अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम	75 %
(iv)	10 वर्ष या अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम	85 %
(v)	15 वर्ष या अधिक	100 %

इन मानों का उद्देश्य मजदूर को यथासंभव लम्बी अवधि तक निधि का सदस्य बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि उसे बुढ़ापे में पूरा फायदा मिल सके।

सदस्यता छोड़ कर जाने वालों के दावों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया है और अब भी दिया जा रहा है। जरूरतमंद कर्मचारियों या उनके परिवारों के सदस्यों को तुरन्त धन वापसी के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

यह देखा गया कि प्रतिष्ठान के अधिनियम के अंतर्गत आ जाने की तारीख पर जिन कर्मचारियों को सदस्य बनने का अधिकार था और जिनके लिए सदस्यता अनिवार्य भी थी उनकी विवरणी प्रतिष्ठानों ने नहीं भेजी जिसके कारण कई मामलों में असाधारण विलंब हो गया क्योंकि इस विवरणी के अभाव में सदस्य के निधि में सम्मिलित होने की तारीख को उसकी कुल सेवावधि का निर्धारण करना संभव नहीं है। परिणामस्वरूप दावों का निपटारा रूका रहा। ऐसे अवसर पर किसी व्यक्ति की कठिनाई दूर करने के लिए ये हिदायतें जारी की गई कि तदर्थ अदायगी के लिए किसी सदस्य की सेवावधि प्रतिष्ठान के समावेश की तारीख को एक वर्ष की मानी जाए। इससे ऐसे अनेक मामलों में लोगों को तत्काल राहत मिली। निरीक्षकों ने भी इस बात का ध्यान रखा कि जब कोई मजदूर निधि का सदस्य बने तो फार्म आदि के भरने की सभी औपचारिकतायें नियोक्ताओं से पूरी कराएं और मजदूर से घोषणा और नामन पत्र भरवाएं।

सरकार ने यह निदेश दिया कि सरकार में और सरकारी क्षेत्र, प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के नाम जो अपनी पुष्टि से पहले ही निधि के सदस्य हैं/थे और जो उसी प्रतिष्ठान में अपनी पुष्टि के बाद सम्बन्धित सरकार के पेंशन लाभों के अधिकारी हो गए हैं, जो भविष्य-निधि की रकमें जमा हैं उनका निपटारा नीचे दिए ढंग से किया जाना चाहिए :—

(i) प्रत्येक स्थिति में कर्मचारी की भविष्य-निधि का अपना अंश ब्याज सहित संबंधित कर्मचारी को दे दिया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी चाहे और नियोक्ता भी सहमत हो कि कर्मचारी के अंशदान का अपना भाग ब्याज सहित सामान्य भविष्य-निधि में सम्बन्धित कर्मचारी के लेखे में अंतरित कर दिया जाए जिसका वह कर्मचारी अपनी पुष्टि के बाद सदस्य बन सकता है तो वह अंतरण सामन्य भविष्य-निधि में कर दिया जाए; और

(ii) यदि नियोक्ता सम्मति दे दे तो अंशदान का उसका पूरा भाग ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी को अदा कर दिया जाए। यदि नियोक्ता इस प्रकार की अदायगी के लिए सहमत न हो और अपने भाग का ब्याज सहित पुनर्ग्रहण करना चाहे तो वह नियोक्ता को लौटा दिया जाए बशर्ते कि वह रकम पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति निधि के लिए ली जाए और कर्मचारी को नियोक्ता के अंशदान से सम्बन्धित सेवा की अवधि के लिए पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभ दिया जाए। यदि नियोक्ता अपने अंशदान का भाग सम्बन्धित कर्मचारी को देने के लिए सहमत हो और कर्मचारी चाहे कि वह रकम सामान्य भविष्य-निधि में उसके लेखे में अंतरित कर दी जाए और नियोक्ता इस अंतरण को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो वह रकम सामान्य भविष्य निधि में कर्मचारी के लेखे में अंतरित कर दी जाए।

आलोच्य वर्ष के दौरान 1.52 लाख दावों के लिए 7.97 करोड़ रुपयों की रकम अदा की गई (जबकि 1962-63 में 1.34 लाख दावों के सम्बन्ध में 6.57 करोड़ ही अदा किये गये थे)। दावों के निपटारे के श्रेणीवार आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :—

	दावे	रुपए लाखों में
(i) अधिवार्षिकी	10,261	125.34
(ii) छंटनी	28,627	141.69
(iii) बर्खास्तगी	3,425	15.22
(iv) इस्तीफा और सेवा समाप्ति	85,402	334.11
(v) प्रव्रजन	1,032	6.25
(vi) स्थायी अशक्तता	9,026	72.39
(vii) मृत्यु	9,586	63.55
(viii) अन्य	4,802	38.00

1963-64 के दौरान निपटाए गए दावों का विश्लेषण

	संख्या	प्रतिशत
(i) 15 दिन के अंदर निपटाए गए दावे	1,16,627	76.6
(ii) 15 दिन के बाद लेकिन एक मास में निपटाए गए दावे	22,333	14.7
(iii) एक मास के बाद लेकिन 3 मास के अंदर निपटाए गए दावे	9,634	6.3
(iv) 3 मास के बाद लेकिन 6 मास के अंदर निपटाए गए दावे	2,448	1.6
(v) 6 मास के बाद लेकिन 9 मास के अंदर निपटाए गए दावे	725	0.5
(vi) 9 मास के बाद लेकिन 12 मास के अंदर निपटाए गए दावे	394	0.3
जोड़	1,52,161	100.00

11 से कुछ अधिक वर्षों में लगभग 8.28 लाख दावों के निपटारे के लिए लगभग 34.43 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं।

12. **जब्तियां :**

जब नियोक्ता का पूरा अंशदान अभिदाता को नहीं दिया जाता तो वह भाग ब्याज सहित निधि के आरक्षित और जब्ती लेखे में जमा कर दिया जाता है। 33.93 लाख रुपये की रकम इस वर्ष के दौरान जब्त की गई (जबकि पिछले वर्ष 23.60 लाख रुपये में जब्ती लेखे प्राप्त हुए थे)। वर्ष

के अंत तक जब्त हुई रकम 150.37 लाख रुपये थी। इसमें से 31.55 लाख रुपये पिछले वर्षों में इस्तेमाल हुए और 20 लाख रुपये विशेष आरक्षित निधि में लगे तथा शेष (क) मनीआर्डर फीस की अदायगी में जो उन मामलों में जहां 1960-61 तक धन वापसी मनीआर्डर द्वारा की गई थी; उसके बाद भारत सरकार ने यह सुविधा अस्थायी रूप से रद्द कर दी ; और (ख) जहां नियोक्ताओं की जमा की गई रकमें पर्याप्त नहीं थीं निधि छोड़ कर जाने वाले सदस्यों को वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान में खर्च हुए (विशेष आरक्षित निधि के स्थापित हो जाने पर यह कार्रवाई रद्द कर दी गई)।

1963-64 में जब्ती लेखे में से 30 लाख रुपयों की रकम अंतरित कर दी गई थी :

20 लाख रुपये विशेष आरक्षित निधि में ;

10 लाख रुपये मृत्यु सहायता निधि में।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष के अंत में जब्ती लेखे से अदा की गई कुल रकम 61.55 लाख रुपये थी और आरक्षित तथा जब्ती लेखे में शेष रकम 88.82 लाख रुपये थी।

13. विशेष आरक्षित निधि :

केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड के परामर्श से 15 सितम्बर, 1960 को एक विशेष आरक्षित निधि कायम की गई थी और 20 लाख रुपये की रकम आरक्षित और जब्ती लेखे से अंतरित की गई थी। निधि का उपयोग निधि से बाहर जाने वाले उन सदस्यों या नामितों/वारिसों को अदायगी के लिए किया जाना था जिनके मामलों में नियोक्ताओं ने अपने अंशदान और मजदूरों से वसूल हुई रकमें पूरी तौर पर या आंशिक तौर से जमा नहीं करवाई थीं।

जब किसी अभिदाता या नामित/वारिस की रकम की अदायगी देय हो जाए तो बाकीदार नियोक्ता से वसूल हुई पूरी रकम ब्याज सहित तुरन्त उसे अदा कर दी जानी चाहिए थी। अभिदाता या नामितों/वारिसों की बाकी रकम विशेष आरक्षित निधि से नीचे दिए ढंग से अदा की जानी थी :—

(i) शेष रकम का 50 प्रतिशत भाग विशेष आरक्षित निधि से फौरन अदा किया जाना चाहिए था;

(ii) शेष रकम का 25 प्रतिशत और भाग नियोक्ता से वसूल होने वाली रकम का 50 प्रतिशत भाग वसूल होने पर अदा किया जाना चाहिए था;

(iii) शेष रकम के बाकी 25 प्रतिशत भाग की अदायगी नियोक्ता से वसूल होने वाली बाकी रकम के शेष 50 प्रतिशत भाग की वसूली के अनुपात से की जानी चाहिए थी;

(iv) जैसा कि ऊपर कहा गया है अदा की गई किस्तों का ब्याज अंतिम किस्तों के साथ सामान्य दरों के अनुसार अदा किया जाना चाहिए था बशर्ते कि नियोक्ता से हर्जानों की काफी रकम वसूल कर ली गई हो।

विशेष आरक्षित निधि से की जाने वाली अदायगियां निम्नलिखित मामलों तक सीमित थीं :—

(1) सदस्य के 55 वर्ष या उसके बाद सेवा-निवृत्ति पर या अधिवार्षिकी पर;

(2) सदस्य की मृत्यु पर;

(3) सदस्य की स्थायी अशक्तता की स्थिति में।

15 सितम्बर, 1960 से 28 फरवरी, 1961 तक की अवधि के दौरान विशेष आरक्षित निधि में से किया गया खर्च लगभग 0.15 लाख रुपये था। इस मामले पर केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने मार्च, 1961 में पुनर्विचार किया और बोर्ड की सिफारिश पर 2 जून, 1961 से निधि से की जाने वाली अदायगियों में इस प्रकार उदारता बरती जाने लगी :—

(1) बाकी रकम का 80 प्रतिशत भाग फौरन अदा कर दिया जाए;

(2) बाकी रकम का 15 प्रतिशत और भाग नियोक्ताओं से वसूल होने वाली बाकी रकम से 50 प्रतिशत भाग की वसूली पर अदा कर दिया जाए;

(3) बाकी रकम का शेष 5 प्रतिशत भाग नियोक्ता से कुल बकाया रकम की वसूली के बाद अदा किया जाए;

(4) जैसा कि ऊपर कहा गया है, अदा की गई किस्तों पर देय ब्याज सामान्य दर से अंतिम किस्त के साथ अदा किया जाए।

यह निर्णय भी किया गया कि योजना के पैराग्राफ 69 और 70 के अधीन तथा उन पैराग्राफों के उपबन्धों के अनुसार विशेष आरक्षित निधि से अदायगी उन सभी परिस्थितियों में अनुमत्य होगी जिनमें अंशदान की रकमें सदस्य को या उसके नामितों/वारिसों को देय है।

1 मार्च 1961 से 31 दिसम्बर, 1961 तक की अवधि के दौरान विशेष आरक्षित निधि से केवल 2.60 लाख रुपये की रकम खर्च हुई थी और 15 सितम्बर, 1960 को निधि के प्रारम्भ से लेकर 31 दिसम्बर, 1961 तक हुए व्यय का आरोही योग 2.75 लाख रुपये था। इस विषय पर बोर्ड ने मार्च 1962 में फिर विचार किया और यह तय किया गया कि देय रकम 80 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की तीन किस्तों में अदा करने के बजाय पूरी देय रकम पहली किस्त में ही अदा कर दी जाए। यह अनुभव किया गया कि इसी प्रकार बरती गई उदारता से मजदूरों को तत्काल बहुत कुछ राहत मिलेगी और लेखा, कार्यविधि में भी आसानी हो जाएगी। अतः सरकार ने इसी के अनुसार 15 जून, 1962 को आदेश जारी कर दिए।

केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने मई 1963 में हुई अपनी बैठक में विशेष आरक्षित निधि की कार्य पद्धति पर पुनर्विचार किया और उन्हें स्थिति संतोषजनक प्रतीत हुई। बोर्ड की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने 10 जून, 1963 को हिदायतें जारी कीं कि समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार विशेष आरक्षित निधि से की जाने वाली अदायगियां जारी रखी जा सकती हैं लेकिन कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान के समावेश से पहले की अवधि से सम्बद्ध यदि भविष्य निधि की पिछली रकमें बाकी हों और कर्मचारी भविष्य-निधि में जमा न कराई गई हों तो उनके बकाया की अदायगी विशेष आरक्षित निधि से नहीं की जाएगी। किसी प्रतिष्ठान की छूट की मंसूखी से पहले की अवधि के लिए भी विशेष आरक्षित निधि से अदायगियां जारी रहेंगी लेकिन प्रतिष्ठान के अधिनियम के अन्तर्गत समाविष्ट होने से पहले की अवधि के लिए कोई अदायगी नहीं की जाएगी।

1963-64 के दौरान जब्ती लेखे में से 20 लाख रुपये की रकम इस निधि में और अंतरित हुई और कुल अंतरित रकम 40 लाख रुपये हो गई। आलोच्य वर्ष के अंत तक विशेष आरक्षित निधि से अदा की गई कुल रकम 33.62 लाख रुपये थी। लेकिन इस अदायगी के मुकाबिले पर वसूल हुई रकम केवल 4.05 लाख रुपये ही रही। बोर्ड ने विशेष आरक्षित निधि से सम्बद्ध वसूलियों की सुस्त रफ्तार पर चिंता प्रकट की और यह निश्चय किया कि इन वसूलियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिएं।

(बोर्ड ने वर्षान्त के शीघ्र बाद 4 अप्रैल, 1964 को हुई अपनी बैठक में विशेष आरक्षित निधि की कार्य प्रणाली पर फिर से विचार किया और सरकार से सिफारिश की कि सामान्य खर्च के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के जब्ती लेखे में से 20 लाख रुपये की रकम अंतरित कर दी जाए। (और यह हो भी गया है)। बोर्ड ने मई 1965 में विशेष आरक्षित निधि की कार्य प्रणाली पर पुन-विचार करने का भी निश्चय किया।)

14. मृत्यु सहायता निधि की स्थापना :

केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड की सिफारिशों पर 1 जनवरी, 1964 को एक मृत्यु सहायता निधि की स्थापना की गई। यह स्थापना एक वर्ष के लिए प्रयोगात्मक आधार पर की गई थी और इसका उद्देश्य मृत सदस्यों के नामितों/वारिसों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था ताकि प्रत्येक मृत सदस्य के नामितों/वारिसों के लिए कम-से-कम 500 रुपये की रकम निश्चित कर दी जाए। निधि के आरक्षित और जब्ती लेखे से 10 लाख रुपये की रकम इस निधि में अंतरित कर दी गई। मृत्यु सहायता निधि का लाभ उन मृत सदस्यों के नामितों/वारिसों को दिया जाएगा जिनका मूल वेतन (अर्थात् मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता जिसमें किसी खाद्य पदार्थ पर दी गई सुविधा का नकद मूल्य और निर्धारण भत्ता शामिल है) मृत्यु के समय 500 रुपये प्रतिमास से अधिक न रहा हो। इस निधि से सहायता उन नामितों/वारिसों को ही दी जाएगी जिनके सम्बन्धी सदस्यों की मृत्यु 1 जनवरी, 1964 को या उससे बाद हुई हो। मृत्यु सहायता निधि से दिए जाने वाले लाभ की मात्रा नीचे दिए ढंग से निर्धारित की जाएगी :—

यदि किसी मृत सदस्य के नाम जमा रकम 500 रुपये से किसी तरह कम हुई तो वह रकम उसके नामितों/वारिसों को मृत्यु सहायता निधि में से उसी अनुपात से अदा की जाएगी जिसके अनुसार उन्हें दावे की रकम मिलेगी। मृत सदस्य के नाम जमा रकम नीचे लिखी रकमों का जोड़ होगी :—

(1) सदस्य के लेखे में वास्तव में जमा की गई रकम;

(2) विशेष आरक्षित निधि में से अदा की जाने वाली रकम;

(3) सदस्य को दी गई वापस न होने वाली पेशगी (पेशगियों) की रकम;

(4) लौटाई जाने वाली पेशगी की बकाया रकम जो देय है;

(5) ब्याज।

मृत्यु सहायता निधि के कार्यचालन के तीन मास (जनवरी 1964 से मई 1964) के दौरान 16.2 हजार रुपये उसमें से अदा किये गये।

15. पेशगियां और ऋण :

कुछ स्थितियों में सदस्य नीचे लिखी पेशगियां ले सकता है जिनको लौटाये जाने की आवश्यकता नहीं है :—

(क) बीमा पालिसी के लिए पेशगी

यदि कोई मजदूर निधि का तीन वर्ष तक सदस्य रहा है तो उसे अपनी जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियमों की अदायगी के लिए पेशगी दी जा सकती है चाहे उसकी बीमा पालिसी नई हो या पुरानी। इस वर्ष 45,107 सदस्यों ने इस सुविधा का लाभ उठाया (जबकि पिछले वर्ष 40,596 सदस्य ही थे) और 29.61 लाख रुपये की रकम इस वर्ष सदस्यों ने निकाली (जबकि पिछले वर्ष 27.61 लाख रुपये निकाले गए थे)।

(ख) मकान के लिए पेशगी

यदि कोई सदस्य 7 वर्ष तक निधि का सदस्य रहा हो और उसने कम-से-कम 500 रुपये अंशदान के रूप में दे दिए हों तो वह मकान बनाने या मकान खरीदने या मकान के लिए जमीन खरीदने के लिए पेशगी ले सकता है। वह किसी सहकारी समिति या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया टैनिमेंट खरीदने के लिए या 'कम आमदनी वालों के लिए आवास योजना' के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए भी पेशगी ले सकता है। इन पेशगियों का अनुदान मजदूर की अपनी पसंद के अनुसार केवल एक प्रकार की पेशगी तक ही सीमित है। इस वर्ष के दौरान 9,825 मामलों में लगभग 80 लाख रुपये की रकम पेशगी के रूप में दी गई।

(ग) उपभोक्ता सहकारी समितियों के शेयर खरीदने के लिए पेशगी

उपभोक्ता सहकारी समिति के, जिसके कम-से-कम 250 सदस्य हों, शेयर खरीदने के लिए 30 रुपये तक की पेशगी का अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान 6,022 मामलों में लगभग 1.6 लाख रुपये की रकम पेशगी के रूप में दी गई।

(घ) किसी प्रतिष्ठान के अस्थायी रूप से बन्द होने की अवधि में विशेष पेशगी

यदि कोई प्रतिष्ठान 30 दिन से अधिक के लिए बंद हो जाए या उसकी तालाबंदी हो जाए और मजदूर को उस अवधि की बेरोजगारी के लिए कोई मुआवजा न मिले तो वह अपने अंशदान का भाग ब्याज सहित पेशगी के रूप में ले सकता है। सामूहिक छंटनी की स्थिति में भविष्य निधि की बकाया रकमों की अदायगी तत्काल कर दी जाती है लेकिन व्यक्तिक छंटनी के मामले में भविष्य निधि की अदायगी उसी सूरत में की जाती है जबकि सदस्य किसी समाविष्ट प्रतिष्ठान में 6 मास की लगातार अवधि के लिए काम पर न लगा हुआ हो।

(ङ) बीमारी के लिए पेशगी

25-1-64 को घोषित योजना में एक नया उपबन्ध जोड़ दिया गया है जिसके अंतर्गत कुछ स्थितियों में बीमारी के लिए निधि से पेशगी देने की व्यवस्था की गई है। अब किसी भी सदस्य की निम्नलिखित परिस्थितियों में उसके लेखे से पेशगी दी जा सकती है जिसे लौटाना जरूरी नहीं :—

(क) यदि उसे एक मास या उससे अधिक के लिए अस्पताल में रहना पड़े, या

(ख) किसी अस्पताल में उसका कोई बड़ा आपरेशन हुआ हो, या

(ग) तपेदिक, कुष्टरोग, पक्षाघात या कैंसर होने पर जबकि नियोक्ता उसे बीमारी के इलाज के लिए छुट्टी दे दे।

(च) बेरोजगारी-सहायता पेशगी।

7-10-63 की हुई 22वीं बैठक में बोर्ड की सिफारिशों पर यह व्यवस्था की गई (जिसकी अधिसूचना 18-5-1964 को दी गई थी) कि व्यक्तिक छंटनी के मामले में उन सदस्यों की कठिनाई दूर करने के लिए जिन्हें निधि में अपने नाम जमा रकम निकलवाने के लिए 6 मास तक की अवधि तक इंतजार करना पड़ता है न लौटाई जाने वाली पेशगी का अनुदान दिया जाए। ऐसे मामलों में जहां अंतिम निकासी निलंबित कर दी गई हो किसी सदस्य को मास में 6 से अधिक बार निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। हर माह दी जाने वाली रकम छंटनी के पहले सदस्य द्वारा प्रतिष्ठान में लिए गए अंतिम वेतन या उसके नाम भविष्य निधि में जमा रकम के $\frac{1}{3}$ भाग में से जो भी कम होगी उसके बराबर होगी।

16. छूट प्राप्त प्रतिष्ठान :

विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से उपयुक्त सरकार के विवेकानुसार उन प्रतिष्ठानों को इस योजना से छूट दी जा सकती है जिनके भविष्य-निधि और अन्य बुढ़ापे के लाभों से संबद्ध नियम अलग-अलग या सामूहिक रूप से सांविधिक योजना के लाभों के नियमों से कुछ कम अनुकूल नहीं हैं। किसी भी प्रतिष्ठान के सदस्यों को यह विकल्प दिया गया है कि वे कुछ शर्तों के साथ व्यक्तिक रूप से या वर्ग के रूप में इन दोनों में से जिसे भी चाहें चुन सकते हैं।

छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों पर लागू की गई कुछ अधिक महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं :

(1) भविष्य निधि की उनकी रकमों का निवेश केन्द्रीय सरकार के ऋणपत्रों में ही किया जाना चाहिए;

(2) ये रकमें न्यासधारियों के बोर्ड के सुपुर्द कर दी जानी चाहिएं जिसमें मजदूरों और मालिकों को बराबर का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो;

(3) भविष्य-निधि निरीक्षकों तथा संगठन के अन्य अधिकारियों को निरीक्षण की सुविधाएं दी जानी चाहिएं और समय-समय पर दी गई उनकी हिदायतों पर अमल किया जाना चाहिए;

(4) निरीक्षण प्रभार विहित दर पर अदा किये जाने चाहिए।

आलोच्य वर्ष के अंत तक 25,663 प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत ले लिए गए थे जिसमें से 1,498 छूटप्राप्त प्रतिष्ठान थे। 39,07,336 कुल सदस्यों में से 13,85,084 सदस्य छूटप्राप्त प्रतिष्ठानों के थे।

छूटप्राप्त प्रतिष्ठानों की कार्य प्रणाली से संबद्ध आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

	(करोड़ रुपयों में)
(1) 1-4-63 को रोकड़ बाकी	2.56
(2) प्राप्त अंशदान (जिनमें अन्य प्राप्तियां जैसे पुष्ट ऋणपत्र और निवेशों पर आए ब्याज आदि के 19.11 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं)	31.54
(3) केन्द्रीय सरकार के ऋणपत्रों में किए गए निवेश	28.89
(4) वापस की गई रकमें :	
(क) दावों के अंतिम निपटारे से संबन्धित	10.30
(ख) वसूली योग्य ऋणों से सम्बन्धित	9.11
(ग) वापसियों से सम्बन्धित (जो वसूल नहीं होंगे)	2.84
(5) अधिशेष	2.07

31 मार्च, 1964 को इन निधियों के कुल निवेश की स्थिति इस प्रकार थी :—

	(करोड़ रुपयों में)
(1) केन्द्रीय सरकार ऋणपत्रों में किए गए निवेश	206.08
(2) अन्य ऋणपत्रों आदि में किए गए पहले के निवेश	4.12
कुल	210.20

खण्ड III

17. केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड :

कर्मचारी भविष्य निधि एक त्रिदलीय न्यासधारी बोर्ड में निहित है और वही उसका प्रबन्ध करता है। बोर्ड में सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के नामित व्यक्ति और अखिल भारतीय नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान श्री एन० एन० चटर्जी, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे।

डा० बी० के० भट्टाचार्य आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय भविष्यनिधि आयुक्त बने रहे।

31 मार्च, 1964 तक केन्द्रीय बोर्ड के जो सदस्य थे उनकी सूची में अनुबन्ध 'च' में दी गई है। वर्ष के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें हुईं—मई 1963 में, अक्तूबर, 1963 में और जनवरी, 1964 में। बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख संबद्ध शीर्षों के अंतर्गत कर दिया गया है। इनका और कुछ अन्य निर्णयों का समेकित रूप अनुबन्ध 'छ' में मिलेगा।

18. प्रादेशिक समितियां :

प्रादेशिक समितियां सामान्यतया प्रदेश की योजना के प्रबंध से संबद्ध सभी मामलों पर और विशेषतया नीचे लिखे मामलों पर केन्द्रीय बोर्ड को परामर्श देती हैं :—

(क) भविष्य निधि में अंशदानों और अन्य प्रभारों की वसूली की प्रगति;

(ख) मुकदमों का शीघ्र निपटान;

(ग) दावों का शीघ्र निपटारा;

(घ) निधि के सदस्यों के समक्ष वार्षिक लेखा-सार प्रस्तुत करना; और

(ङ) पेशगियों की शीघ्र मंजूरी।

1963-64 से पूर्व बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रादेशिक समितियां स्थापित की गई थीं। 1963-64 के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात केरल, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान राज्यों में भी प्रादेशिक समितियां कायम करने का निर्णय किया गया था। (उपर्युक्त राज्यों में प्रादेशिक समितियों की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही है।)

आलोच्य वर्ष के दौरान समितियों की बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

क्रम संख्या	प्रदेश	बैठक
1.	बिहार	8 वीं बैठक (17 अप्रैल 1963)
2.	मद्रास	10वीं बैठक (1 अप्रैल, 1963) 11वीं बैठक (19 जुलाई, 1963) (12वीं बैठक (7 फरवरी, 1964)
3.	महाराष्ट्र	6ठी बैठक (13 अप्रैल, 1963) 7वीं बैठक (23 जुलाई, 1963) 8वीं बैठक (13 सितम्बर, 1963) 9वीं बैठक (14 अक्तूबर, 1963) 10वीं बैठक (4, 6 नवम्बर, 1963)
4.	उत्तर प्रदेश	(6ठी) बैठक (21 फरवरी, 1964)
5.	पश्चिम बंगाल	14वीं बैठक (11 जून, 1963) 15वीं बैठक (11 नवम्बर, 1963)

19. प्रबन्ध :

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और केन्द्रीय न्यास-धारी बोर्ड का मंत्री है। केन्द्रीय आयुक्त प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के जरिए प्रत्येक राज्य म एक-एक तथा एक दिल्ली में होता है, संगठन पर नियन्त्रण रखता है। आजकल आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 12 पूर्ण-कालिक प्रादेशिक आयुक्त हैं। असम, उड़ीसा और राजस्थान के राज्य श्रम

आयुक्त अंशकालिक प्रादेशिक आयुक्तों के रूप में कार्य कर रहे थे। (13 मई, 1964 से उड़ीसा और राजस्थान के प्रादेशिक आयुक्तों के पद पूर्णकालिक कर दिये गये हैं।) प्रादेशिक आयुक्त केन्द्रीय के नियन्त्रण व देखरेख में काम करते हैं जो केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड, निधि से लाभ पाने वाले व्यक्तियों, नियोक्ताओं, व कर्मचारियों के संगठनों और सामान्य जनता तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य एक कड़ी के रूप में भी काम करता है।

आलोच्य वर्ष में संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्राधिकृत संख्या 3,727 थी जबकि पिछले वर्ष यही संख्या 3,214 थी।

नवम्बर, 1963 में 1,041 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने से 1963-64 के अंत में स्थायी पदों की कुल संख्या 1,780 हो गयी जबकि कुल प्राधिकृत संख्या 3,727 थी। उपयुक्त और योग्य व्यक्तियों को स्थायी पदों पर पक्का करने के लिए प्रादेशिक आयुक्तों को निर्देश भी जारी किए गए।

भारत सरकार ने नवम्बर, 1963 में बम्बई के प्रादेशिक कार्यालय में एक वर्ष के लिए 5 लाख लेखों के मशीनीकरण को प्रयोग के तौर पर आजमाने का निर्णय किया। (लेखों का मशीनीकरण 9-5-64 को लागू किया गया था और इसके परिणाम आगामी वर्ष में मालूम होंगे।)

मलयेशिया के 21 ट्रेड यूनियन नेताओं के एक दल को नवम्बर 1963 में मुख्यालय के दौरे की सुविधा प्रदान की गई ताकि वे संगठन की कार्यविधि का अध्ययन कर सकें। गत 11 वर्षों में निधि के तीव्र गति से प्रसार तथा मृत्यु सहायता निधि की स्थापना से वे अत्यधिक प्रभावित हुए।

20. प्रकाशन :

कार्यालय-तंत्र के सुचारू संचालन को दृष्टि में रखते हुए फरवरी 1963 में एक संशोधित और परिवर्धित नियम पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। इसमें अधिनियम और योजना के महत्वपूर्ण उपबन्धों तथा जारी किये गये विभिन्न अनुदेशों का वर्गीकरण और संकलन किया गया है। इस नियम-पुस्तिका को जो सफलता मिली उसे देखते हुए नवम्बर 1963 में 'कानूनी स्पष्टीकरणों की पुस्तिका' नामक एक और संदर्भ पुस्तिका का संकलन और प्रकाशन किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न मुख्य न्यायालयों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कई व्यवस्थाएं और व्याख्यायें जारी की गई थी। केन्द्रीय भविष्य-निधि आयुक्त ने उनके आधार पर तथा अपनी ओर से भी अनुदेश जारी किए थे। संशोधनों के जरिए कुछ सरकारी अधिसूचनायें और उक्त अनुदेश अधिनियम और योजना में शामिल किए गए थे परन्तु फिर भी इनमें से बहुत से परिपत्रों के रूप में इधर-उधर बिखरे हुए थे। अतः संगठन के अधिकारी और कर्मचारी एक ऐसी संग्रह पुस्तक की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे जिसमें समेकित रूप में कानूनी स्पष्टीकरण दिये गये हों। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये संगठन के अधिकारियों के प्रयोग के लिए शीघ्र हवाले के साधन के रूप में 'कानूनी स्पष्टीकरणों' की पुस्तिका जारी की गई थी। इस पुस्तिका में भूतकाल में उत्पन्न हुई समस्याओं और उनके यथासम्भव समाधान पर विचार किया गया है। यह पुस्तिका बहुत उपयोगी सिद्ध हुई और सभी प्रदेशों में व्याख्या के क्षेत्र में इससे एकरूपता आई।

'अपनी भविष्य निधि योजना को जानिए' नामक एक छोटी-सी संदेशिका अंग्रेजी और सभी प्रादेशिक भाषाओं में जनवरी 1963 में प्रकाशित की गई थी। इसमें योजना की मुख्य

विशेषतायें दी गई है । इस प्रकाशन से योजना में काफी रुचि बढ़ी और इसकी मांग भी अधिक थी। इस पुस्तिका की सफलता से प्रोत्साहित हो कर संगठन ने प्रचार की दिशा में एक और कदम बढ़ाया और मार्च 1964 में एक सचित्र विवरणिका, "कर्मचारी भविष्य-निधि एक नजर में" प्रकाशित की गई । इस विवरणिका में योजना की मुख्य विशेषतायें दी गई हैं और लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर रंगीन चित्र दिए गए हैं । (विवरणिका का अनुवाद सभी प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं में हो चुका है और यह मजदूर संगठनों तथा प्रतिष्ठानों में निशुल्क वितरण के लिए है ।)

21. कार्यालय के लिए जगह :

अधिकांश प्रादेशिक कार्यालयों के लिए स्थानाभाव की समस्या बहुत चिन्ताजनक थी । इसके समाधान के लिए निरन्तर प्रयास किये गये। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के प्रादेशिक कार्यालयों को अधिक खुली और बड़ी जगह में स्थानान्तरित कर दिया गया और मद्रास, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के प्रादेशिक कार्यालयों के लिए और अधिक जगह की व्यवस्था की गई । उपयुक्त और पर्याप्त जगह की कमी तथा बड़े-बड़े शहरों के बढ़े-चढ़े किराये को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि संगठन के कार्यालयों के लिए भूमि प्राप्त की जाए और भवनों का निर्माण कराया जाए। कई प्रदेशों में उपयुक्त भूमि-खण्ड प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गई थी । महाराष्ट्र के कार्यालय भवन के लिए दिसम्बर 1963 में भूमि खरीदी जा चुकी है और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के कार्यालयों के लिए भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई में काफी प्रगति हो चुकी है ।

22. कर्मचारी आवास :

बोर्ड ने कर्मचारियों की काम की स्थिति में सुधार करने के लिए मई 1963 में हुई अपनी 21वीं बैठक में सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार किया कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कानपुर और चण्डीगढ़ आदि स्थानों में 50 प्रतिशत स्थायी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण कराया जाए । बोर्ड ने यह भी निर्णय किया कि जब तक क्वार्टरों का निर्माण न हो तब तक इन स्थानों पर निजी आवास किराये पर लेकर कुछ खास श्रेणियों के कर्मचारियों को साहाय्य प्राप्त किराए पर दिये जायें । बोर्ड के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की गई । इसी दौरान जरूरतमंद लोगों को सामान्य नियमों के अनुसार साहाय्य प्राप्त किराए पर देने के लिए निजी आवास किराए पर लिए गए ।

23. शक्ति सौंपना :

केन्द्रीय भविष्य-निधि आयुक्त ऐसे संगठन का प्रमुख है जो निरन्तर बढ़ रहा है और जिसमें 31-3-64 को 111 राजपत्रित और 3,616 अराजपत्रित, अर्थात् कुल 3,727 व्यक्ति काम कर रहे थे । सरकार ने केन्द्रीय आयुक्त को बहुत से मामलों का अपने ही स्तर पर तेजी से निपटारा करने के लिए कुछ अतिरिक्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपी और उसकी मौजूदा शक्तियों में भी कुछ वृद्धि की । तीसरी और चौथी श्रेणी के अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की सौंपी गई शक्ति उल्लेखनीय है । इसी प्रकार बढ़ाई गई शक्तियों में (1) 2000 रु० मासिक किराए तक कार्यालय के लिए जगह लेने, और (2) प्रत्येक मामले में 5,000 रु० का अनावर्ती तथा 1,000 रु० का आवर्ती आकस्मिक व्यय प्रति वर्ष करने की शक्तियाँ भी उल्लेखनीय हैं ।

योजना में, वर्ष के शुरू में ही संशोधन किया गया जिसके अनुसार आयुक्त को यह प्राधिकार दिया गया कि वह वर्ष के दौरान किसी भी समय केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में मंजूर निधि का पुनर्विनियोजन कर सके बशर्ते कि :—

(1) यह पुनर्विनियोजन केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में मंजूर रकम से अधिक न हो;

(2) यह पुनर्विनियोजन प्रशासन सम्बन्धी केवल ऐसे खर्च पूरे करने के लिए किया जाए जो प्रशासन के लेखे से पूरे करने हों;

(3) इस प्रकार किए गए पुनर्विनियोजन की सूचना केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड को उसकी अगली बैठक में दी जाए ।

24. प्रादेशिक भविष्य-निधि आयुक्तों का सम्मेलन :

संगठन के प्रारम्भ के कुछ वर्षों में वर्ष में दो बार प्रादेशिक आयुक्तों का सम्मेलन हुआ करता था । परन्तु 1954 के बाद ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ । संगठन के विकास से समस्यायें और भी जटिल हो गई थीं । इससे लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या भी अधिक थी । अतः 16 और 17 अगस्त 1963 को प्रादेशिक आयुक्तों का एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया गया था । सम्मेलन में 84 विषयों पर विचार किया गया जिनमें कार्यालय के लिए जगह, अंशदान की बकाया रकमों की वसूली, वार्षिक लेखा विवरणों के निर्गम, प्रशासन, शक्ति का प्रतिनिधान, कार्यालय कार्यविधि, पदोन्नतियां, वेतनमान, कर्मचारी, आवास, निरीक्षण के मापदण्ड, कर्मचारियों के लिए मापदण्ड, फार्मों का संशोधन, अधिनियम और योजना में संशोधन, गृह-निर्माण के लिए पेशगियां, समावेश समस्याएं, मुकदमों की समस्यायें और सरकारी क्षेत्र में प्रवर्तन की समस्यायें आदि विषय शामिल थे । (प्रादेशिक आयुक्तों का दूसरा सम्मेलन वर्ष समाप्त होते ही 13 अप्रैल 1964 को नई दिल्ली में हुआ था ।)

25. निरीक्षण :

अधिनियम और योजना के उपबन्धों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी भविष्य निधि निरीक्षकों की है जो संगठन के क्षेत्रीय कर्मचारियों के तौर पर काम करते हैं । यह निरीक्षक समाविष्ट किए जा सकने वाले सभी प्रतिष्ठानों के समावेश, भविष्य-निधि की वसूली, सभी पात्र कर्मचारियों की सदस्यता, प्रतिष्ठानों द्वारा मूल विवरणियों के प्रेक्षण आदि पर विशेष ध्यान देते हैं । अधिनियम और योजना का दायरा बढ़ने के साथ उन्हें सीमान्त इकाइयों का निरीक्षण भी करना पड़ता है जिससे यह निश्चय हो सके कि अधिनियम का पूरा-पूरा पालन हो रहा है । वे नियोक्ताओं को उचित ढंग से योजना लागू करने की शिक्षा भी देते हैं ।

आलोच्य वर्ष में 140 निरीक्षकों ने छूट-प्राप्त और छूट-रहित प्रतिष्ठानों के 66,775 निरीक्षण किये जिनमें असमाविष्ट इकाइयां भी शामिल थीं । अधिनियम और योजना को ठीक तरह लागू करने के लिए यह अनुभव किया गया कि क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए न केवल कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम और योजना की ही उचित जानकारी आवश्यक है अपितु विभिन्न श्रम कानूनों और सहायक कानूनों की भी । प्रादेशिक आयुक्तों के अगस्त 1963 में हुए सम्मेलन में भी यह समस्या सामने आई थी । यह निर्णय किया गया कि निरीक्षकों के प्रशिक्षण की एक योजना तैयार की जाए । तदनुसार एक योजना तैयार की गई और इस योजना के अनुसार प्रत्येक निरीक्षक को सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण का कोर्स पूरा करना होगा तथा

निर्धारित लिखित प्रश्न पत्रों में पास होना होगा। प्रशिक्षण के दौरान उसके प्रशिक्षण और व्यवहारिक कार्य की उन्नति का रिकार्ड रखा जाएगा तथा केन्द्रीय आयुक्त अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं की व्यवस्था करेगा। यह योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जाएगी।

26. आय और व्यय :

प्रशासन सम्बन्धी व्यय न तो भविष्य-निर्वाह-निधि लेखे से किए जाते हैं और न ही उसके ब्याज से, अपितु उनके लिए छूट-रहित और छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से विशेष रूप से रकम उगाही जाती है जिसे क्रमश: प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार कहते हैं। यह प्रभार केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किये जाते हैं। जिन प्रतिष्ठानों की अंशदान की दर 6 1/4 है उनके प्रशासनिक प्रभार की दर 3 प्रतिशत और निरीक्षण प्रभार की दर 0.75 प्रतिशत है। जिन प्रतिष्ठानों की अंशदान की सांविधिक दर 8 प्रतिशत है उनके प्रभारों की दर क्रमश: 2.4 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत है। अंशदान की 8 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर लागू होने से पहले प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभारों की दर क्रमश: 3 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत थी। अंशदान की सांविधिक दर बढ़ने के कारण ये दरें क्रमश: 2.4 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत कर दी गई थी। इस कमी के निम्नलिखित कारण थे :—

(1) भविष्य-निधि के अतिरिक्त अंशदान के लिए संगठन को कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता। अत: बढ़ी हुई दर वाले अंशदान के लिए प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभारों के भुगतान की मांग नियोक्ताओं से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभारों के रूप में नियोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार डालने का नहीं था।

(2) यदि ये दरें क्रमश: 2.4 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत निर्धारित की जायें तो संगठन को अब भी लगभग उतनी ही आय होती रहनी चाहिये जितनी कि उस समय होती थी जबकि प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार दोनों भागों के अंशदान के क्रमश: 3 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत होते थे। योजना के अनुसार प्रशासनिक प्रभार अंशदान की कुल रकम पर लिये जाते हैं। उसमें सदस्यों के स्वैच्छिक अंशदान भी शामिल हैं। इसी प्रकार निरीक्षण प्रभार भी अंशदान की कुल रकम पर ही लिए जाते हैं। यदि नियोक्ता सहमत हो तो स्वैच्छिक अंशदान की रकम कितनी भी हो सकती है। अत: यह विचार प्रकट किया गया कि नियोक्ता से अंशदान की कुल रकम के प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार लेना अनुचित होगा। इस प्रश्न पर विचार किया गया और केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने सुझाव दिया कि प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार अंशदान के अनुसार लेने के बदले वेतन के अनुसार लिए जायें जिस पर कि भविष्य निधि देय होती है। वेतन में मूलवेतन, महंगाई भत्ता (इसमें खाद्य पदार्थ पर दी गई सुविधा का नकद मूल्य शामिल है) और प्रतिधारण भत्ता भी शामिल है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी प्रतिष्ठान में अंशदान की वास्तविक दर चाहे कुछ भी हो, छूट-रहित और छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों प्रशासनिक प्रभार एक समान ही रहेगा। वेतन के अनुसार दर निश्चित करने से विभिन्न प्रकार की गणना की आवश्यकता नहीं रहेगी जो कि आवश्यक होती यदि इन प्रभारों की दर अंशदान के अनुसार ही रहती।

1963-64 के दौरान प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभारों से कुल आय और व्यय इस प्रकार था :—

	(लाख रुपयों में)
(क) आय	
(अ) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार	125.41
(आ) निवेश का ब्याज	8.57
(इ) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभारों के विलम्बित प्रेषण का हर्जाना	1.32
कुल	135.30
(ख) व्यय	92.13

27. लेखा-परीक्षा :

कर्मचारी भविष्य-निधि के लेखों की लेखापरीक्षा का काम भारत के नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा ही होता रहा और विभिन्न महालेखापाल इस कार्य में सहयोग देते रहे।

खण्ड IV

28. संशोधन :

(क) कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम

राष्ट्रपति ने 7 सितम्बर 1963 को कर्मचारी भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक, 1963 को स्वीकृति प्रदान की और यह भारत के राजपत्र में 1963 के अधिनियम संख्या 28 के रूप में प्रकाशित हुआ। ये संशोधन 30 नवम्बर 1963 से लागू किये गए। इन परिवर्तनों का प्रभाव इस प्रकार होगा :—

(1) इस योजना से उन कर्मचारियों को भी लाभ होगा जो किसी ठेकेदार द्वारा या उसके जरिए काम पर रखे जाते हैं। मुख्य नियोक्ता ठेकेदार से अंशदान वसूल करेगा।

(2) पहले जिन कर्मचारियों को व्यक्तिश: या वर्ग रूप में छूट दी गई थी वे भी अब छूट-प्राप्त कर्मचारी' के नाम से शामिल किए गए हैं। तदनुसार वे भविष्य-निधि की कुर्की से संरक्षण लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।

(3) 'विनिर्माण' या 'विनिर्माण प्रक्रिया' पद की परिभाषा पहले से अधिक व्यापक होगी और उसका प्रारूप फैक्टरी अधिनियम में दी गई 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा के अनुसार होगा।

(4) अधिनियम में केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड के संगठन पद्धति और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसमें संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन के लिए कुछ खास अधिकारियों की भर्ती की भी व्यवस्था की गई है।

(5) किसी प्रतिष्ठान से वसूल की जाने वाली भविष्य-निधि की रकम तथा अन्य प्रभारों को निश्चित करने की पहले कोई व्यवस्था नहीं थी परन्तु अब ऐसी विशिष्ट व्यवस्था कर दी गई है जिसके अनुसार केन्द्रीय उप और प्रादेशिक भविष्य-निधि आयुक्त ऐसा कर सकते हैं। अधिनियम को ठीक ढंग से लागू करने के लिए भविष्य-निधि निरीक्षकों को भी तलाशी और कब्जा करने के अधिकार दिये जायेंगे।

(6) यदि कोई कर्मचारी भविष्य-निधि को छोड़ कर किसी दूसरी स्वीकृति निधि में शामिल हो जाए तो एक निधि से दूसरी निधि में भविष्य-निधि में जमा रकम की बदली व स्वीकृति की भी व्यवस्था की जाएगी।

(ख) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना

(1) योजना के पैरा 27 के अनुसार व्यक्तिगत रूप से छूट-प्राप्त कर्मचारियों से निरीक्षण प्रभारों की वसूली के लिए 1963-64 से पहले योजना में कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः योजना के पैरा 27 में उचित ढंग से संशोधन किया गया और संशोधित व्यवस्था के अनुसार नियोक्ता के लिए लेखे रखना विवरणियां भेजना, निरीक्षण प्रभार अदा करना और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विधि से भविष्य-निधि की जमा रकम को निवेश करना आवश्यक कर दिया गया।

(2) योजना में एक नया पैरा (24क) जोड़ा गया। इसके अनुसार बोर्ड द्वारा चेयरमैन को यह अधिकार दिया गया कि वह निधि के प्रशासन के लिए, बजट की वित्तीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये, प्रासंगिक व्यय और सामग्री की खरीद के लिए मंजूरी दे सके। यह व्यवस्था केवल उसी अवस्था में लागू होनी है जबकि व्यय की रकम आयुक्त द्वारा मंजूर की जाने वाली रकम की सीमा से अधिक हो।

(3) योजना के पैरा 71 में संशोधन किया गया और इसके अनुसार नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे गम्भीर और कामतः कदाचार के लिए बर्खास्त किए गए सदस्यों की सूचना दें।

(4) योजना में किये गये एक संशोधन के अनुसार सदस्यों को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि कोई नियोक्ता अधिनियम के अनुभाग 1 के उप-अनुभाग 5 के अधीन प्रतिष्ठान में अधिनियम के उपबन्ध लागू करना बंद कर दे तो वह अपना अंशदान रोक कर अपने लेखे में जमा पूरी रकम निकाल सकता है।

(5) योजना के पैरा 63 (1) (ख) के प्रयोजन के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों की आपसी सहमति से बनाए गए डाक्टरी बोर्ड द्वारा जारी किए गए डाक्टरी प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए भी योजना में व्यवस्था की गई थी।

अब प्रत्येक नियोक्ता के लिए पैरा 69 (1) (ख) के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठान के पड़ौस में ही एक रजिस्टरित चिकित्सा व्यवसायी रखना आवश्यक हो गया है।

29. सामयिक स्पष्टीकरण :

योजना के पैरा 78 के अनुसार भारत सरकार ने निदेश दिया कि जो सदस्य प्रतिष्ठानों पर अनुभाग 16(1) (ख) लागू होने के परिणामस्वरूप निधि में अंशदान देना बंद कर देते हैं

उनके भविष्य-निधि लेखे का निपटारा तुरंत कर दिया जाए और उन्हें कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों का भाग तथा उस का ब्याज दे दिया जाये।

भारत सरकार ने सलाह दी कि :

(i) साप फीतों का निर्माण 'विद्युत् यांत्रिक और सामान्य इंजीनियरी पदार्थों' की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है;

(ii) किसी शिक्षु (अप्रैंटिस) को कर्मचारी नहीं माना जा सकता क्योंकि साधारणतः उसे काम सीखने के लिए रखा जाता है। लेकिन यदि उसकी नियुक्ति किसी विशिष्ट करारनामे के अनुसार हुई हो तो उस करारनामे की शर्तों से ही यह निश्चय किया जाएगा कि क्या इस मामले में स्वामी-सेवक का सम्बंध विद्यमान है;

(iii) यूरिया फार्मल्डी हाइड मोल्डिंग पाउडर, पोलिस्टा चादरें और नाटपाली का वर्गीकरण 'प्लास्टिक और प्लास्टिक पदार्थों' के अनुसार किया गया है;

(iv) सैलूलायड और बैकेलाइट प्लास्टिक उत्पाद ही हैं और इनके पदार्थ प्लास्टिक-पदार्थ; और

(v) अधिनियम सितारों, टिकली आदि (Spangles) के विनिर्माण पर लागू नहीं किया जा सकता क्यों कि वे सरेस से बनाए जाते हैं और सरेस कच्ची खाल की कतरनों तथा छीलनों से तैयार की जाने के कारण 'चमड़ा और चमड़े के पदार्थ उद्योग' के अंतर्गत नहीं आती।

'खांडसारी' को अनुसूचित शीर्ष 'चीनी उद्योग' के अंतर्गत विधिवत् शामिल करने के प्रश्न पर फिर विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि अधिनियम और योजना उन फैक्टरियों पर भी लागू होते हैं जो अनुसूचित शीर्ष 'चीनी' के अन्तर्गत खांडसारी के विनिर्माण में लगी हुई हैं।

सरकार ने परामर्श दिया कि लेखन सामग्री में वे सब चीजें शामिल हैं जो लिखने-पढ़ने के काम आती हैं और इस प्रकार स्कूल जाने वाले बच्चों तथा अन्य लोगों द्वारा लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्लेटें भी 'लेखन सामग्री' शब्द के अंतर्गत ही शामिल है। सरकार ने यह भी मत व्यक्त किया कि यद्यपि अधिनियम के अनुसार प्रबन्धनिदेशक सक्रिय साझीदार 'कर्मचारी' नहीं समझे जा सकते फिर भी ऐसे प्रतिष्ठानों को जो उन्हें भी भविष्य-निधि की सुविधायें, प्रदान करना चाहते हैं ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि नियोक्ता अपना भाग देना दोनों भागों पर प्रशासनिक प्रभार देना और अन्य सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करना स्वीकार करें।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वश्री अवध शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड, हरगांव के मामले में यह निर्णय दिया कि "फैक्टरी" शब्द में कोई भी ऐसा परिसर शामिल है जहां कच्चा माल जमा किया जाता है, तोला जाता है और फैक्टरी परिसर में, जहां संयंत्र और मशीनें लगी हुई हैं, भेजा जाता है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने सर्वश्री आर० एल० साहनी एण्ड कम्पनी के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि कोई प्रतिष्ठान यथा फैक्टरी स्थापित किया जाए और फैक्टरी का स्वामी स्वयं ही

व्यापार न करे अपितु समय-समय पर फैक्टरी को पट्टे पर देता रहे तो नये सिरे से फैक्टरी को पट्टे पर देने का अर्थ फैक्टरी को नये सिरे से स्थापित करना नहीं हो सकता।

30. ठेकेदारों के कर्मचारी :

सर्वश्री उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप न तो ठेकेदारों के कर्मचारियों को निधि का सदस्य बनाया जा सकता था और न ही मौजूदा सदस्यों के अंशदान देने के लिए नियोक्ता को विवश किया जा सकता था। आलोच्य वर्ष में अधिनियम में यथोचित संशोधन किया गया और ठेकेदारों के मजदूरों को भी निधि का सदस्य बनाने की व्यवस्था की गई बशर्ते कि अन्य सांविधिक आवश्यकताओं का पालन होता रहे। संशोधित अधिनियम और योजना 30 नवम्बर 1963 से लागू किये गये। भविष्य-निधि में नियोक्ताओं के अंशदान की ठेकेदारों से वसूली और विभिन्न सांविधिक विवरणियों की प्राप्ति के लिए अधिनियम और योजना में उचित व्यवस्था की गई। उपयुक्त अनुदेश जारी करके सभी समाविष्ट प्रतिष्ठानों को इन उपबन्धों की सूचना दी गई।

31. निष्कर्ष :

पूर्वोल्लिखित पैराग्राफों से स्पष्ट हो गया होगा कि कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम और योजना का क्षेत्र बढ़ाने, जिन प्रतिष्ठानों में भी थोड़ा गुंजाइश प्रतीत हुई वहां अंशदान की दर बढ़ाने, नई परिस्थितियों में प्रशासनिक ढांचे और प्रक्रियाओं को लागू करने व अपनाने, और लाभानुभोगी व्यक्तियों की अधिक अच्छे ढंग से सेवा करने के लिए अधिनियम तथा योजना में संशोधन करने का निरन्तर प्रयास किया गया। यद्यपि योजना का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा थी तथापि नियोक्ताओं की वास्तविक कठिनाइयों को भी नजरअन्दाज नहीं किया गया और योजना के कार्य-सम्पादन में उनके लिए भी आवश्यक छूट दी गई। संगठन के अधिकारी व कर्मचारी जिस दक्षता के साथ अपने दुःसाध्य कार्य को पूरा करते रहे हैं उसके लिए बोर्ड उनका आभारी है। बोर्ड डा० बी० के० भट्टाचार्य का, जिन्होंने वर्ष के अन्त में केन्द्रीय भविष्य-निधि आयुक्त के कार्यालय का प्रभार सौंपा, उनके काम के लिए विशेष रूप से आभारी है।

अनुबन्ध 'क'

यह अधिनियम नीचे दिये गए उद्योगों और प्रतिष्ठान श्रेणियों पर लागू होता है :

(मद संख्या 1 से 84 के आगे कोष्ठक में दी गई संख्याएं उद्योगों के समाविष्ट प्रतिष्ठानों की संख्या और अंतिम खाने में दी गई संख्यायें 31 मार्च 1964 को उस उद्योग में निधि के सदस्यों की संख्या व्यक्त करती हैं।)

1 नवम्बर 1952 से

1. सीमेंट (44)	46,113
2. सिगरेट (13)	13,963
3. विद्युत् यांत्रिक या सामान्य इंजीनियरी सामान (4617)	5,62,138
4. लोहा और इस्पात (180)	1,75,012
5. कागज (140)	41,535
6. सूती वस्त्रोद्योग (2328)	12,00,067

31 जुलाई 1956 से

7. खाद्य तेल और वसाएं (969)	33,748
8. चीनी (195)	1,68,174
9. रबड़ और रबड़ का सामान (179)	33,859
10. विद्युत (उत्पादन, संचरण और वितरण सहित) (445)	91,139
11. चाय (असम राज्य को छोड़कर जहां असम सरकार ने चाय उद्योग और चाय-बागान के लिए एक पृथक् भविष्य निर्वाह-निधि योजना लागू कर रखी है) (600) *	3,38,251

*मद सं० 26 भी देखिए।

12. मुद्रण, इसमें मुद्रण के लिए टाइप कंपोज करने की प्रक्रिया लेटर मुद्रण, शिलामुद्रण, फोटो ग्रेवर या अन्य वैसी ही प्रक्रिया या जिल्दबन्दी शामिल है, परन्तु इसमें से ऐसे मुद्रणालय शामिल नहीं हैं जो समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से समाविष्ट हैं और जिन पर श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 के अनुभाग 15 के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम अलग से लागू किया गया है। (973)	59,411
13. पाषाण पाइप (17)	3,095
14. स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान (18)	3,431
15. उच्च और निम्न तनाव वाले बिजली के इन्सुलेटर (13)	2,784

16. उष्मसह पदार्थ (51) 24,586
17. टाइल (356) 23,724
18. दियासलाइयां (91) 10,794
19. शीशा (171) 21,841

टिप्पणी :—31 मार्च, 1962 तक योजना निम्नलिखित उद्योगों पर लागू नहीं थी :

(i) ऐसी दियासलाई फैक्टरियां जिनका वार्षिक उत्पादन 5 लाख ग्रुस बक्स या कम था;

(ii) ऐसी शीशा बनाने वाली फैक्टरियां जिनमें शीशे की चादरें और शीशे के खोल नहीं बनते थे और जिनकी मासिक उत्पादन क्षमता 600 टन या कम थी।

30 सितम्बर 1956 से

20. भारी तथा परिष्कृत रसायन जिनमें निम्नलिखित शामिल है :—
    (i) उर्वरक,
    (ii) तारपीन,
    (iii) रोजिन,
    (iv) औषधीय और भेषजीय वस्तुएं,
    (v) शृंगार का समान,
    (vi) साबुन,
    (vii) स्याही,
    (viii) इंटरमीडिएट, रंग कलर लेक और टोनर,
    (ix) वसीय अम्ल,
    (x) आक्सीजन, ऐसीटिलीन और कार्बनडाइ आक्साइड गैस उद्योग
    (इस उद्योग में 31 जुलाई 1957 से अधिनियम लागू किया गया था।)
    (815) . . . 1,14,004
21. नील (—) . . . . . —
22. लाख जिसमें चपड़ा शामिल है (39) . . . 511
23. अखाद्य वनस्पति और जान्तव तेल और वसाएं (15) . 601

31 दिसम्बर 1956 से

24. सामाचार पत्र प्रतिष्ठान (200) . . . 29,584
25. खनिज तेल परिवक्करण उद्योग (3) . . . 9,484
26. चाय बागान (असम राज्य के चाय बागानों को छोड़कर) (365) 59,383
27. काफी बागान (504) 41,423
28. रबड़ के बागान (136) 13,864
29. इलायची के बागान (45) 826
29क. मिले-जुले बागान (409) 25,111
30. कालीमिर्च के बागान (—) . . . . —

30 नवम्बर 1957 से

31. खनिज लोहे की खानें (124) . . . 13,376
32. मैंगनीज की खानें (255) . . . 26,293
33. चूना पत्थर की खानें (70) 23,890
34. सोने की खानें (2) 17,893
35. औद्योगक और पावर एल्कोहल उद्योग (28) 4,310
36. एस्बेस्टास सीमेंट की चादर-उद्योग (6) . . . 4,407
37. काफी सुखाने वाले प्रतिष्ठान (31) . . 7,026

30 अप्रैल 1958 से

38. बिस्कुट बनाने का उद्योग जिसमें ऐसे संयुक्त प्रतिष्ठान भी शामिल हैं जो बिस्कुट, डबलरोटी, मिठाई, दूध और दूध-चूर्ण बनाते हैं (101) . 6,692

30 अप्रैल 1959 से

39. सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठान (979) . . 1,21,167

31 मई 1960 से

40. अभ्रक फैक्टरियां (105) 7,199
41. अभ्रक की खानें (217) 8,891

30 जून 1960 से

42. प्लाई वुड उद्योग (86) 10,413
43. मोटर गाड़ियों की सेवाई और मरम्मत उद्योग (393) . 21,613

31 दिसम्बर 1960 से

44. धान कूटने का उद्योग (1576) . . . 20,050
45. दाल दलने का उद्योग (100) . . . 1,256
46. आटा पीसने का उद्योग (81) 4,851

31 मई 1961 से

47. स्टार्च उद्योग (10) 1,731

30 जून 1961 से

48. होटल (1059) 28,882
49. रेस्टोरां (257) 6,866
50. पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस अथवा इनसे बनी वस्तुओं के संचयन या परिवहन या वितरण का कार्य करने वाले प्रतिष्ठान (20) . 3,504
51. पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस की खोज, जांच पड़ताल कुएं खोदना या उत्पादन उद्योग (51) 11,601

31 जुलाई 1961 से

52. पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस परिकरण उपयोग (22) . 236

53. सिनेमा और पूर्वदर्शन थियेटर (645) . . . 13,508
54. फिल्म स्टूडियो (28) 2,436
55. फिल्म निर्माता संस्थाएं (183) . . . 6,322
56. विगोपन फिल्मों का वितरण करने वाली संस्थाएं (50) . 1,994
57. फिल्म तैयार करने वाली प्रयोगशालाएं (9) . . 856

31 अगस्त 1961 से

58. चमड़ा तथा चमड़े के सामान का उद्योग (295) . . 16,014

30 नवम्बर 1961 से

59. पत्थर के जार (13) 1,052
60. चीनी के बर्तन (19) 2,351

31 दिसम्बर 1961 से

61. गन्ने का प्रत्येक फार्म जिस का स्वामी किसी चीनी फैक्ट्री का स्वामी या अधिष्ठाता हो या जो ऐसे स्वामी या अधिष्ठाता अथवा उनके लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोया गया हो (30) . . 5,093

30 अप्रैल 1962 से

62. प्रत्येक व्यापारिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो वस्तुओं के क्रय-विक्रय या संचयन का काम जिसमें निर्यातकर्ताओं, आयातकर्ताओं, विज्ञापनकर्ताओं, आढ़तियों और दलालों के प्रतिष्ठानों तथा स्टाक एक्सचेंजों का काम भी शामिल है करते हों लेकिन जिसमें बैंक या भाण्डागार जो किसी राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार स्थापित किए गए हों शामिल नहीं हैं (3201) . . . 2,06,595

30 जून 1962 से

63. फल तथा वनस्पति परिरक्षण उद्योग (34) . 1,568

30 सितम्बर 1962 से

64. काजू उद्योग (189) 78,946

31 अक्तूबर 1962 से

65. लकड़ी का सामान तैयार करने वाले प्रतिष्ठान जिनमें हार्ड बोर्ड या चिपबोर्ड पटसन या पटसन का सामान लकड़ी का सामान, कार्क का सामान, फर्नीचर, लकड़ी का खेल का सामान, बैंत या बांस का सामान, और लकड़ी के बैटरी पृथककारी शामिल हैं (182) . 5,570
66. आरा मिलें (236) 6,669
67. लकड़ी के उपचार भट्टे (45) . . . 1,468
68. लकड़ी के परिरक्षण संयंत्र (1) . . 16
69. लकड़ी की कर्मशालाएं (86) 4,039

31 दिसम्बर 1962 से

70. बाक्साइट की खानें (10) 1,200

31 मार्च 1963 से

71. मिठाई उद्योग (14) 219

30 अप्रैल 1963 से

72. कपड़े की धुलाई तथा कपड़े की धुलाई की सेवाएं (53) . 2,859
73. बटन (13) 76
74. ब्रुश (8) 515
75. प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान (103) . . 5,133
76. लेखन सामग्री (34) 2,335

31 मई 1963 से

77. नाट्यशाला जहां नाटक अथवा अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रदर्शन होता है, जिसे देखने के लिए दर्शकों का प्रवेश-शुल्क देना पड़ता है (5) 290
78. ऐसी समितियां, क्लब और संघ आदि जो अपने सदस्यों अथवा उनके अतिथियों को पैसा देने पर रहने या खाने या दोनों की अथवा मनबहलाव की सुविधाएं प्रदान करती हैं (86) . . 4,983
79. ऐसी कम्पनियां, सभाएं, संघ, क्लब या मण्डलियां जो नाट्यशाला को छोड़कर किसी गोल या अन्य अखाड़े में अपने करतब या कला या दोनों का प्रदर्शन करते हैं, जिसे देखने के लिए दर्शकों को प्रवेश शुल्क देना पड़ता है (2) 34

31 अगस्त 1963 से

80. कैंटीन (34) 644
81. वातित जल, मृदु पेय या कार्बनेटी जल (23) . . 1,117

31 अक्तूबर 1963 से

82. स्पिरिट का आसवन और परिशोधन (जो औद्योगिक और पावर एल्कोहल में शामिल नहीं हैं) और सम्मिश्रण (3) . 180

31 जनवरी 1964 से

83. पेंट और वार्निश (21) 2,849
84. अस्थि चूर्णन (5) 147

31 मार्च 1964 के बाद समाविष्ट उद्योग

30 जून 1964 से

85. अचार
86. चीनी मिट्टी की खानें

अनुबंध 'ख'

कर्मचारी-भविष्य-निधि में शामिल प्रतिष्ठानों और सदस्यों का प्रदेशवार विवरण (31 मार्च 1964)

क्र० सं०	राज्य	फैक्टरियां प्रतिष्ठानों की संख्या		जोड़	सदस्यों की संख्या		जोड़
		छूट प्राप्त	छूट रहित		छूट प्राप्त	छूट रहित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	34	1,535	1,569	31,837	76,857	1,08,694
2	असम	18	229	247	11,002	12,008	23,010
3	बिहार	92	687	779	1,27,182	65,000	1,92,182
4	दिल्ली	69	1,072	1,141	45,082	45,052	90,134
5	गुजरात	86	1,364	1,450	151,433	1,42,197	2,93,630
6	केरल	37	1,396	1,433	13,936	2,35,422	2,49,358
7	मध्य प्रदेश	35	669	704	75,992	65,434	1,41,426
8	मद्रास	131	3,000	3,131	84,982	3,00,055	3,85,037
9	महाराष्ट्र	172	4,486	4,658	2,12,506	5,78,295	7,90,801
10	मैसूर	88	1,737	1,825	1,20,313	1,12,094	2,32,407
11	उड़ीसा	21	285	306	36,749	34,088	70,837
12	पंजाब	26	1,426	1,452	21,404	65,757	87,161
13	राजस्थान	10	257	267	4,372	28,138	32,510
14	उत्तर प्रदेश	90	1,412	1,502	55,819	1,78,003	2,33,822
15	प० बंगाल	589	4,610	5,199	3,92,475	5,83,882	9,76,357
	जोड़	1,498	24,165	25,663	13,85,084	25,22,282	39,07,366

अनुबंध 'ग'

कर्मचारी-भविष्य-निधि योजना 1952

पैरा 52(3)

कर्मचारी-भविष्य-निधि की परिसम्पत्ति का वर्गीकृत भार (31 मार्च 1964)

क्र०सं०	परिसम्पत्ति-वर्ग	*बही मूल्य की प्रत्यक्ष मूल्य	31 मार्च 1964 तक बाजार मूल्य	टिप्पणी
1	(2)	(3)	(4)	(5)
		रु०	रु०	
1.	भारत सरकार के ऋण-पत्र:			
	(i) केन्द्र में किए गए निवेश के ऋण-पत्र	1,57,31,07,351	1,58,32,52,936(अ)	
	(ii) भारत सरकार के ऋण-पत्र के रूप में प्राप्त पिछली रकमें	17,44,02,305*	17,65,44,603(अ)	
	(iii) प्रशासन खाते से निवेश	2,47,24,515	2,46,31,773(अ)	
	(iv) स्टाफ भविष्य निधि से निवेश	22,34,088	22,36,896(अ)	
2.	राज्य सरकारों के ऋण-पत्र के रूप में प्राप्त पिछली रकमें	1,33,74,700*	1,31,97,252(अ)	
3.	भारतीय म्युनिसिपल, पोर्ट और इम्प्रूवमेंट स्ट्रट के ऋण पत्रों (डिबेंचर सहित) के रूप में प्राप्त पिछली रकमें	15,57,700*	14,93,370(अ)	
4.	कम्पनियों के डिबेंचर के रूप में प्राप्त पिछली रकमें	63,600*	63,600(आ)	
5.	बैंकों में जमा नकदी	20,000	20,000(आ)	
6.	हाथ में और बैंकों के चालू खातों में नकदी	1,14,73,368	1,14,73,368	
7.	अन्य परिसम्पत्ति (कार्यालय का सामान, फर्नीचर, आदि)	6,52,307(ई)	4,52,325(ई)	
	जोड़	1,80,16,09,934	1,81,33,66,123	

(अ) रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, बम्बई से प्राप्त निर्खों के आधार पर।
(आ) निर्ख अप्राप्य।
(इ) क्रय मूल्य।
(ई) बही मूल्य।

इ० वी० राम रैड्डी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुबन्ध 'घ'

वसूली के बकाया मामलों और उनकी रकम का प्रदेशवार विवरण (31 मार्च 1964)

क्र०सं०	राज्य	वसूली अधिकारियों के पास बकाया मामलों की संख्या	बकाया मामलों की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
			(लाख रु० में)
1	आंध्र प्रदेश	315	7.79
2	असम	17	0.78
3	बिहार	76	12.09
4	दिल्ली	346	1.54
5	गुजरात	152	3.51
6	केरल	540	9.56
7	मध्य प्रदेश	138	14.81
8	मद्रास	68	0.89
9	महाराष्ट्र	438	57.27
10	मैसूर	100	6.69
11	उड़ीसा	8	2.21
12	पंजाब	126	2.27
13	राजस्थान	109	3.22
14	उत्तर प्रदेश	184	60.32
15	प० बंगाल	2,572	69.17
	जोड़	5,189	252.12

अनुबन्ध 'ङ'

दायर किए गए, निपटाए गए और निलम्बित मुकदमों की संख्या का प्रदेशवार विवरण (31 मार्च 1964)

क्र० सं०	राज्य	दायर किए गए मुकदमे	निपटाए गए मुकदमे	अदालतों में निलम्बित मुकदमें
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	288	212	76
2.	असम	11	4	7
3.	बिहार	685	443	242
4.	दिल्ली	1,211	1,019	192
5.	गुजरात	197	185	12
6.	केरल	1,199	964	235
7.	मध्य प्रदेश	95	59	36
8.	मद्रास	141	139	2
9.	महाराष्ट्र	1,070	933	137
10.	मैसूर	119	110	9
11.	उड़ीसा	24	19	5
12.	पंजाब	2,221	1,523	698
13.	राजस्थान	224	194	30
14.	उत्तर प्रदेश	262	225	37
15.	प० बंगाल	1,431	685	746
	जोड़	9,178	6,714	2,464

अनुबन्ध 'च'

केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड के सदस्यों की सूची (31 मार्च, 1964)

(1) श्री एन० एन० चटर्जी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, **नई दिल्ली**।

(2) श्री के० जे० जार्ज, उपसचिव, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक समन्वय), **नई दिल्ली**।

(3) श्री पी० सदागोपन, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और पदेन उपसचिव, भारत सरकार श्रम एव रोजगार मंत्रालय, **नई दिल्ली**।

(4) श्री एन० एस० मानकीकर, मुख्य कारखाना सलाहकार, 2ए०/3, आसफ अली रोड, **नई दिल्ली**।

(5) श्री एस० एम० भट्टाचार्यजी, सचिव, श्रम विभाग, प० बंगाल सरकार, **कलकत्ता**।

(6) श्री आर० एस० मण्डल, सचिव, श्रम विभाग, बिहार सरकार, **पटना**।

(7) श्री जे० एन० तिवारी, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, पोस्ट बाक्स नं० 220, **कानपुर**।

(8) श्री एम० बी० राजवाडे, सचिव, उद्योग व श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार, **बम्बई-32**।

(9) श्री आर० तिरूमलाई, अपर सचिव, उद्योग, श्रम और सहकारिता विभाग, मद्रास सरकार, **मद्रास**।

(10) श्री आर० आनन्दकृष्ण, सचिव, लोक स्वास्थ्य, श्रम और निगम प्रशासन विभाग, मैसूर सरकार, **बगलौर**।

(11) श्री एन० कोचूकृष्णन्, श्रम आयुक्त, केरल, **त्रिवेन्द्रम**।

(12) श्री बी० बी० ब्रह्मभट्ट, उप-सचिव, शिक्षा और श्रम विभाग, गुजरात सरकार, **अहमदाबाद**।

(13) श्री आर० एस० पाण्डे, टाटा आयरन एण्ड स्टील क० लिमिटेड, **जमशेदपुर**।

(14) श्री शीतल प्रसाद जैन, 11, क्लाइव रोड, **कलकत्ता**।

(15) श्री एम० एल० बागला, मार्फत स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट बाक्स सं० 19, **कानपुर**।

(16) श्री एच० पी० मर्चेंट, 'बुडलैंड्स' पैडर रोड, **बम्बई-26**।

(17) श्री जे० बी० पटेल, मैसर्स न्यू स्टेण्डर्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड केरल रोड **बम्बई-13**।

(18) श्री डी० एस० बाखले, उपाध्यक्ष, मिल ओनर्स एसोसियेशन, एलफिन्स्टन बिल्डिंग, वीरनरीमन रोड, **बम्बई-1**।

(19) श्री माईकल जान, अध्यक्ष, टाटा कर्मचारी संघ, 17-के रोड, **जमशेदपुर**।

(20) श्री काली मुखर्जी, महामंत्री, बी० पी० एन० टी० यू० सी०, श्रमिक भवन, 177-बी० लोअर सरकुलर रोड, **कलकत्ता-14**।

(21) श्री रामसिंह भाई वर्मा, उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, श्रम शिविर, **इन्दौर**।

(22) श्री के० रामास्वामी, कोषाध्यक्ष, तमिलनाड, अ० भा० ट्रे० यू० कां०, 3/66, त्रिची रोड, **कोयम्बतूर**।

(23) श्री सुधीर मुखोटी, 18, सूर्य सेन स्ट्रीट, **कलकत्ता-12**।

(24) श्री बी० एस० महादेव सिंह, अध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा, पुरानी जेल के सामने, मार्केट स्ट्रीट, **सिकन्दराबाद ((आं० प्र०)**।

अनुबन्ध 'छ'

केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड की 27 मई, 7 अक्तूबर 1963 और 13 जनवरी 1964 को हुई क्रमशः 21 वीं, 22वीं और 23वीं बैठकों में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय।

(क) 27 मई 1963 को हुई बैठक

(i) बोर्ड ने निर्णय किया कि यदि कोई सदस्य बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बोर्ड का अध्यक्ष उस बैठक में शामिल होने के लिए उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति को नामित कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्थानापन्न रूप में नामित किया जाए वह उसी संगठन का प्रतिनिधि होना चाहिए जिसका प्रतिनिधि प्रमुख सदस्य था। जहां तक उस बैठक का संबंध है, स्थानापन्न सदस्य को नियमित सदस्य के ही सारे अधिकार व सुविधाएं प्राप्त होंगी। वह यात्रा भत्ते का भी हकदार होगा।

(ii) बोर्ड ने निर्णय किया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (स्टाफ अंशदायी भविष्य-निधि) विनियमावली 1960 के विविनियम 16 (क) में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी निर्णय किया गया कि यदि निधि के किसी कर्मचारी को गम्भीर कदाचार के कारण बर्खास्त कर दिया जाए तो उसके मामले में बोर्ड के भाग में से की जाने वाली कटौती की विधि के बारे में केन्द्रीय आयुक्त द्वारा प्रादेशिक भविष्य-निधि आयुक्तों को निदेश जारी करना ही पर्याप्त होगा।

बोर्ड ने निर्णय किया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (स्टाफ अंशदायी भविष्य-निधि) विनियमावली 1960 में इस प्रकार संशोधन किए जाएं कि निम्नलिखित की व्यवस्था हो सके :

(1) यदि कोई अंशदाता ज्ञापन के पैरा 3 के अनुसार 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी किए बिना ही त्यागपत्र देदे तो उसकी सेवा अवधि के अनुपात से बोर्ड के अंशदान की अदायगी ;

(2) यदि किसी स्थायी कर्मचारी की जो निधि का अंशदाता भी हो पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने से पहले ही मृत्यु हो जाए (ज्ञापन का पैरा 4) तो उसके परिवार को उपदान की जायगी ; और

(3) यदि किसी कर्मचारी की जो निधि का अंशदाता भी हो, पांच वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मृत्यु हो जाए तो केन्द्रीय सरकार के नियमों के समान ही उसके परिवार को उपदान की अदायगी।

(iii) बोर्ड ने दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कानपुर और चन्डीगढ़ आदि स्थानों पर 50 प्रतिशत स्थायी कर्मचारियों के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए सिद्धान्ततः मंजूरी प्रदान की। यह भी निर्णय किया गया कि इस सिलसिले में एक क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए और आवास आवश्यकताओं तथा कार्य उनकी वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करके, क्वार्टरों के निर्माण से पहले ही, बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए।

(iv) बोर्ड ने निर्णय किया कि कर्मचारी भविष्य-निधि योजना में इस प्रकार संशोधन किया जाए कि किसी भी सदस्य को उसके खाते में से उपभोक्ता सहकारी समिति में निवेश के लिए पेशगी दी जा सके। ऐसी पेशगी वापिस करने की आवश्यकता न होगी और यह ज्ञापन में दी गई और नीचे लिखी शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

(1) पेशगी की रकम आयुक्त द्वारा सीधे ही उपभोक्ता सहकारी समिति को अदा की जाए और सदस्य को नहीं ;

(2) आयुक्त की जानकारी और उससे अनुमति लिए बिना सदस्य को उपभोक्ता सहकारी समिति में से अपनी निवेश की गई रक़म निकालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ; और

(3) यदि समिति बंद कर दी जाए तो सदस्य की रकम की अदायगी निधि में की जानी चाहिए, सदस्य को नहीं।

(v) बोर्ड ने निर्णय किया कि यदि नियोक्ता अपना पूरा या आंशिक अंशदान और कर्मचारियों से वसूल की गई रकम जमा कराने में असमर्थ रहें तो निधि से जाने वाले सदस्यों या उनके नामति व्यक्तियों/उत्तराधिकारियों को विशेष आरक्षित निधि में से दी जाने वाली सहायता जारी रहनी चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में शर्त यह होगी कि विशेष आरक्षित निधि में से ऐसी पिछली बकाया रकमों के लिए अदायगी नहीं की जानी चाहिए जो प्रतिष्ठान पर अधिनियम लागू होने से पहले के समय की हों और निधि में स्थानान्तरित न की गई हों। छूट रद्द करने से पहले के समय के लिए भी विशेष आरक्षित निधि में से सहायता दी जाती रहेगी लेकिन प्रतिष्ठान पर अधिनियम लागू होने से पहले के समय के लिए कोई अदायगी नहीं की जानी थी।

बोर्ड ने निधि के अपवर्तन लेखे में से 15 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि विशेष आरक्षित निधि में स्थानान्तरित करने के लिए भी सिफारिश की।

(ख) 7 अक्तूबर 1963 को हुई बैठक

(i) बोर्ड ने निर्णय किया कि किसी सदस्य को बीमारी के लिए भविष्य-निधि में से निम्नलिखित शर्तों पर पेशगी दी जानी चाहिए।

(1) सदस्यों को वापस न की जाने वाली पेशगी नीचे लिखी दशाओं में दी जाएगी : (क) जब कि बीमार व्यक्ति एक महीने या अधिक समय तक अस्पताल में रहे, (ख) अस्पताल में कोई बड़ा आपरेशन किया जाए, (ग) जब कि सदस्य तपेदिक का रोगी हो और बीमारी के कारण उसके नियोक्ता ने छूट्टी दे दी हो।

(2) पेशगी उस अवस्था में भी दी जाएगी जब कि नियोक्ता ने यह प्रमाणित किया हो कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा व लाभ वस्तुतः सदस्य को उपलब्ध नहीं थे और (ख) अस्पताल के डाक्टर ने प्रमाणित किया हो कि आपरेशन करना आवश्यक था या एक महीने अथवा अधिक समय तक अस्पताल रहना आवश्यक होगा या वह अस्पताल में रह रहा था या उस अवधि के लिए रहना आवश्यक था।

(3) इस प्रकार दी जाने वाली पेशगी की अधिकतम रकम सदस्य के तीन महीने मूल वेतन या निधि में उसके अपने ही ब्याज सहित अंशदान के भाग (जो भी कम हो) के बराबर होगी।

(ii) बोर्ड ने निर्णय किया कि शुरू में अपवर्तन लेखे में से दस लाख रुपये की रकम निकाल कर मृत्यु सहायता निधि की स्थापना की जाए ताकि मृत सदस्यों के नामित व्यक्ति/उत्तराधिकारी की वित्तीय सहायता की जा सके और प्रत्येक मरणोपरान्त दावे में कम से कम 500 रुपये की रकम दी जा सके। मृत्यु सहायता निधि की मुख्य-मुख्य विशेषताएं वही होनी चाहिएं जो ज्ञापन में दी गई हैं। यह भी निर्णय किया गया कि मृत्यु सहायता निधि की कार्य प्रणाली पर हर वर्ष पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

(iii) बोर्ड ने योजना में संशोधन के लिए ज्ञापन के पैरा 2 में दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और यह भी बताया कि प्रस्तावित पैरा 36ख में 7 दिन की मियाद शामिल की जाएगी जिसके भीतर-भीतर प्रत्येक ठेकेदार को अंशदान की वसूलियां आदि का विवरण मुख्य नियोक्ता को प्रस्तुत कर देना चाहिए।

(ग) 13 जनवरी 1964 को हुई बैठक

(i) बोर्ड ने 1963-64 के संशोधित प्राक्कलन और 1964-65 के अनुमानित प्राक्कलन स्वीकार किए। यह भी निर्णय किया गया कि भारत सरकार के संगठन और कार्यविधि प्रभाग से प्रार्थना की जाए कि वह निधि के कार्यालयों की कार्य पद्धति की जांच करे और कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के साथ-साथ खर्च में भी कमी करने के लिए कार्यपद्धति का सुझाव दे।

(ii) बोर्ड ने यह भी निर्णय किया कि केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाए कि सदस्यों (जिनमें स्टाफ भविष्य-निधि के सदस्य भी शामिल हैं) के लेखों पर 1964-65 में ब्याज 4.25 प्रतिशत की दर से लगाया जाए।

(iii) बोर्ड ने निर्णय किया कि कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के पैरा 69(1) में इस प्रकार संशोधन किया जाए कि, ज्ञापन के अनुसार, वैयक्तिक छंटनी की दशा में निधि के सदस्यों को 'बेरोजगारी सहायता' प्रदान करने की व्यवस्था हो सके। योजना के पैरा 68-ज के अनुसार आजकल जो बेरोजगारी सहायता पेशगी दी जा रही है, वह चालू रखी जा सकती है।

(iv) बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार द्वारा कलक्टर, बम्बई उपनगर जिला को 20 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बांदरा में एक एकड़ भूमि का खण्ड खरीदने के लिए 96,800 रुपये की अस्थायी अदायगी की मंजूरी पर विचार किया। यह भूमिखण्ड महाराष्ट्र के प्रादेशिक कार्यालय के भवन-निर्माण के लिए खरीदा जाना था। बोर्ड ने निर्माण कार्य महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को सौंपने के प्रस्ताव पर भी विचार किया। यह भी निर्णय किया गया कि जल्दी से जल्दी दर निश्चित करके अदायगी कर देनी चाहिए।

(v) बोर्ड ने प्रायोगिक आधार पर लेखों के मशीनीकरण के लिए एक आई० बी० एम० मशीन एक वर्ष के लिए किराये पर लेने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय पर विचार

किया। यह मशीन प्रादेशिक भविष्य-निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के कार्यालय के लिए ली जानी थी जहां ज्ञापन में दिए गए विवरण के अनुसार पांच लाख लेखे रखे जाने थे। इस मशीन के कारण स्टाफ में किसी प्रकार की छंटनी नहीं की जानी थी। यह भी निर्णय किया गया कि वर्ष के अंत में किसी समय आई० बी० एम० और आई० सी० टी० दोनों से निश्चित प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जाए जो मई 1965 से लागू होते हों और एक वर्ष बाद इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाए।

(vi) बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय भविष्य-निधि आयुक्त को प्रदत्त अतिरिक्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर विचार किया जिन में कुछ मौजूदा अधिकारों को भी बढ़ाया गया था। साथ ही केन्द्रीय भविष्य-निधि आयुक्त द्वारा प्रादेशिक भविष्य-निधि आयुक्तों को सौंपी गई शक्तियों पर भी विचार किया गया जिनका ब्योरा ज्ञापन में दिया गया है।

(vii) बोर्ड ने निर्णय किया कि:

(1) नियोक्ता को अपना अंशदान और प्रशासनिक निरीक्षण प्रभार की अदायगी के लिए पांच दिन की रियायत दी जानी चाहिए और इस अवधि में हर्जाना नहीं लेना चाहिए;

(2) रियायत के पांच दिन के बाद दस दिन तक के विलम्ब के लिए सामान्य से आधी दर से हर्जाना लिया जाना चाहिए।

M2PFC/64—700—6-3-65—GIPF.